

अध्याय - ॥

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

अध्याय- 11: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें वाणिज्यकर के अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), वाणिज्यकर के अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के संयुक्त आयुक्तों के साथ वाणिज्यकर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों¹ में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं एवं 28 अंचलों² में विभाजित है जिसमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ., जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। वा.क.सं.आ. (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में अ.ब्यू. के एक उपायुक्त पदस्थापित होते हैं तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमंडल में एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान, बिक्री व्यापार आदि पर करों से संबंधित 46 इकाइयों में से 26 इकाइयों (₹ 7,178.65 करोड़ के राजस्व संग्रहण वाले) के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 345 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 670.35 करोड़ के कर का अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, जैसा कि तालिका - 2.2 में दिए गए हैं:

तालिका - 2.2

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	'मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली' - एक निष्पादन लेखापरीक्षा	1	393.45
2	कर का कम/नहीं लगाया जाना	74	164.30
3	कर से छूट की अनियमित स्वीकृति	30	7.57

¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

तालिका - 2.2

(` करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
4	ब्याज का नहीं लगाया जाना	48	45.42
5	कर की गलत दरों का अनुप्रयोग	23	3.22
6	अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	15	3.80
7	गलत आवर्त निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	32	5.40
8	कर के रियायती दर की अनियमित स्वीकृति	21	0.66
9	अधिक कर संग्रहण हेतु अर्थदंड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल	4	0.62
10	अन्य मामले	97	45.91
कुल		345	670.35

वर्ष के दौरान विभाग ने 136 मामलों में ` 598.32 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 100 मामलों में अंतर्गस्त ` 595.05 करोड़ वर्ष 2014-15 में इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में 14 मामलों में ` 5 लाख की राशि वसूली की गई।

इस अध्याय में हम ` 393.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 'मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और ` 201.60 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामलों को प्रस्तुत करते हैं। विभाग ने ` 595.05 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.3 मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली

विशिष्टताएँ

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्व-करनिर्धारण के केवल 12 मामले थे और विभाग ने व्यवसायियों के बीच स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई पहल नहीं किया जिसका कार्मिकों की कमी और निबंधित व्यवसायियों के निरंतर वृद्धि के साथ परिणाम, वर्ष 2009-10 में 11,313 से 2013-14 में 22,614 करनिर्धारणों में भारी बकाये के संचयन में हुआ।

(कंडिका 2.3.8, 2.3.10.1 एवं 2.3.22.4)

हालाँकि अधिनियम में अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण का प्रावधान विद्यमान था, पर ऐसे सर्वेक्षण के लिए तौर तरीके निर्धारित नहीं किये गये हैं। 54 अनिबंधित व्यवसायियों का पता करने हेतु विभाग ने निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरणों का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ` 1.91 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ` 3.82 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.10.2 एवं 2.3.10.3)

13 अंचलों में निबंधित 45,732 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,062 व्यवसायियों में से 70 व्यवसायियों के मामले में बिक्री/खरीद में ` 1,404.19 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ था परिणामस्वरूप ` 128.51 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ` 192.75 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

नौ अंचलों में 35,129 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,186 में से 24 व्यवसायियों के मामलों में ` 8.35 करोड़ के आई.टी.सी. दावों में अनियमिततायें थीं यथा अनियमित/गैर स्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे, अतिरिक्त दावे, आई.टी.सी. का व्युत्क्रमण न होना और उस पर ब्याज का प्रभारित नहीं किया जाना।

(कंडिका 2.3.13)

सात अंचलों में 27,528 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 852 में से 13 व्यवसायियों के मामले में मालों के गलत वर्गीकरण और कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 6.27 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

12 अंचलों में 43,000 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,125 में से 46 व्यवसायियों के मामले में स्वीकृत कर/देय कर का भुगतान नहीं किया जाना/विलंब से भुगतान, बिना प्रमाणवाले अस्वीकृत दावे, गलत छूटों और रियायतों पर ` 38.43 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.16)

10 अंचलों में 40,911 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 2,075 में से 34 व्यवसायियों के मामले में अंतर्राज्यीय और राज्यांतर्गत भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री, घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग और अवैध प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप 49.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.20)

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 39,061 और 45,732 व्यवसायियों में से मू.व.क. लेखापरीक्षा हेतु क्रमशः 838 और 906 व्यवसायी चयनित किये गये, पर मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा मात्र 170 और दो व्यवसायियों की लेखापरीक्षा की गयी और 668 और 904 व्यवसायियों की लेखापरीक्षा बकाया रह गई।

(कंडिका 2.3.22.1)

2.3.1 प्रस्तावना

मूल्यवर्द्धित कर (मू.व.क.) का निर्धारण, आरोपण, और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) नियमावली, 2006 और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं/निर्देशों द्वारा शासित होता है।

वाणिज्यकर विभाग करनिर्धारण, आरोपण, और संग्रहण हेतु उत्तरदायी है और अधिनियम, नियमावलियों के विभिन्न प्रावधानों और उसके अधीन निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रक्रिया में, व्यवसायियों को एक लेखाकार या टैक्स प्रैक्टिशनर द्वारा तैयार वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे के साथ संलग्न उनके व्यापार खाते में बिक्री व खरीद से संबंधित उनके लेनदेनों की विवरणी प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत करना है। व्यवसायियों से विवरणी की प्राप्ति पर, करनिर्धारण प्राधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि विवरणियाँ सभी तरह से पूर्ण एवं सही हैं जैसे कि देय कर, भुगतान की गई राशि, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा (आई.टी.सी.) और देय कर का इसके विरुद्ध समायोजन, कर के विलंबित जमा पर ब्याज और इसकी अंकगणितीय परिशुद्धता। व्यवसायी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के प्रावधानानुसार सभी दस्तावेज अधिनियम के प्रावधान में दिये गये समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी, विहित घोषणा प्रपत्रों³ की प्रस्तुति पर आई.टी.सी. कर के रियायतों और छूटों के योग्य हैं। राज्य सरकार व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु व्यवसायियों को इन प्रोत्साहनों को स्वीकृत करती है। घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों जिस पर कर राहत की स्वीकृति दी गयी है के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना वाणिज्यकर विभाग का दायित्व है।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

वाणिज्यकर विभाग सरकार के स्तर पर वाणिज्यकर विभाग के सचिव-सह-आयुक्त के क्षेत्राधीन है। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में अधिनियमों और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग के मुख्यालय स्तर पर, वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। उन्हें अपर आयुक्त और वाणिज्यकर के संयुक्त आयुक्तों, वाणिज्यकर अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) के संयुक्त आयुक्त के साथ-साथ अन्य उपायुक्त/सहायक आयुक्तों एवं वाणिज्यकर पदाधिकारियों (वा.क.प.) का सहयोग प्राप्त होता है।

³ झा.मू.व.क.-404: इनपुट टैक्स क्रेडिट; झा.मू.व.क. -506: राज्यांतर्गत शाखा स्थानांतरण; झा.मू.व.क. 400: स्रोत पर कर कटौती; झा.मू.व.क. 407: कर की कटौती नहीं किया जाना; झा.मू.व.क. 403: कर की विशेष दर के अंतर्गत वस्तुओं की कर प्रदत्त बिक्री।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों⁴ में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं जो प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) प्रमुख भी हैं। वाणिज्यकर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 28 अंचल⁵ कार्यरत हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ./वा.क.प., बाजार सर्वेक्षण के अलावा, सरकार को देय मू.व.क./के.बि.क. के आरोपण और संग्रहण के लिए भी उत्तरदायी हैं।

राज्य तीन वाणिज्यकर प्रमंडलों⁶ (मू.व.क. अंकेक्षण) में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी एक संयुक्त आयुक्त होते हैं जिन्हें आयुक्त द्वारा परिभाषित मापदंड के अनुसार चयनित व्यवसायियों के कर लेखापरीक्षा करने में वा.क.उ., वा.क.स.आ. और वा.क.प. द्वारा सहयोग किया जाता है।

2.3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गयी कि :

- झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधान और उसके अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ पर्याप्त हैं, और राज्य के राजस्व की सुरक्षा करने के लिए ठीक से लागू हैं;
- कर की छूटें/रियायत, व्यवसायियों द्वारा आवर्त से दावा की गयी कटौतियाँ और कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) द्वारा दी गयी अनुमति व्यवस्थित थे; और
- विभाग में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006;
- केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं आवर्त) नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006;
- समय-समय पर जारी निर्देश/अधिसूचनाएं; और
- न्यायालय के निर्णय।

⁴ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

⁶ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

2.3.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

2.3.5.1 2009-10 से 2013-14 की अवधि से संबंधित वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान पूर्ण किये गये करनिर्धारणों के संबंध में "मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2014 से मई 2015 के बीच संचालित की गयी। लेखापरीक्षा वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त का कार्यालय, प्रशासन अपील और मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध के तीन प्रमंडलीय संयुक्त आयुक्तों⁷, वाणिज्यकर न्यायाधिकरण और प्रत्येक अंचल द्वारा सृजित राजस्व के आधार पर उच्च (₹ 150 करोड़ और उससे अधिक), मध्यम (₹ 25 करोड़ और ₹ 150 करोड़ के बीच) और न्यून जोखिम (₹ 25 करोड़ से नीचे) में वर्गीकृत कर यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा राज्य के 28 अंचलों में से चयनित 13 वाणिज्यकर अंचलों⁸ (वा.क.अं.) में संचालित की गयी।

2.3.5.2 हमने आवधिक विवरणियाँ, झा.मू.व.क.-409 में व्यापार खाते, 'सी' और 'एफ' घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता प्रमाण पत्र, झा.मू.व.क. -'504 जी' एवं '504 बी' में रोड परमिटों की उपयोगिता, इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में घोषणा की उपयोगिता, राज्यांतर्गत शाखा स्थानांतरण हेतु झा.मू.व.क.-506, स्रोत पर कर की कटौती हेतु झा.मू.व.क.-400, स्रोत पर कर की गैर कटौती हेतु झा.मू.व.क.-407, कर के विशेष दर के अंतर्गत कर भुगतान के बाद वस्तुओं की बिक्री हेतु झा.मू.व.क.-403 की नमूना जाँच की और कर अपवंचन एवं अनिबंधित संवेदकों/व्यवसायियों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों और संवेदकों के करनिर्धारण अभिलेखों से एकत्र आँकड़े/सूचनाओं से तिर्यक जाँच किया। वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड के अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) के साथ 13 फरवरी 2015 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गयी। सचिव-सह-आयुक्त, झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन 19 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गयी। सरकार/विभाग के विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

2.3.6 आभारोक्ति

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में वाणिज्य कर विभाग के सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।

⁷ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट। वर्तमान चक्र के साथ ही पिछले लेखापरीक्षा चक्रों में संचालित लेखापरीक्षा।

2.3.7 राजस्व की प्रवृत्ति

2009-14 के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) और वास्तविक के बीच भिन्नता तालिका - 2.3.7 में दिखाया गया था।

तालिका - 2.3.7

(करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	राज्य के वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताआधिक्य (+) / कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत
2009-10	4,200.00	3,597.20	(-) 602.80	(-)14.35
2010-11	4,503.00	4,473.43	(-) 29.57	(-) 0.66
2011-12	5,633.25	5,522.02	(-) 111.23	(-)1.97
2012-13	6,650.00	6,421.61	(-) 228.39	(-)3.43
2013-14	7,874.50	7,305.08	(-) 569.42	(-)7.23

स्रोत: विभागीय आँकड़े और राज्य के वित्त लेखे

उपरोक्त से यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 में 14.35 प्रतिशत की कमी के बाद, विभाग ने वर्ष 2010-12 में वापसी की जिसका काफी हद तक श्रेय कर की दर में वृद्धि था।

2.3.8 करनिर्धारण में बकाये

2009-14 के दौरान 12 वाणिज्य कर अंचलों⁹ के करनिर्धारण के बकाये तालिका - 2.3.8 में दिखाये गये हैं।

तालिका - 2.3.8

वर्ष	प्रारंभिक शेष	योग	कुल	निष्पादन	अंतिम शेष
2009-10	2,550	29,610	32,160	20,847	11,313
2010-11	11,313	30,017	41,330	30,705	10,625
2011-12	10,625	34,455	45,080	27,656	17,424
2012-13	17,424	28,240	45,664	25,743	19,921
2013-14	19,921	30,349	50,270	27,656	22,614

उपरोक्त से यह देखा गया कि करनिर्धारण के बकाये में, इन वर्षों में 2009-10 में 11,313 से 2013-14 के अंत में 22,614 की संचयी वृद्धि हुई। यह अवलोकित किया गया कि विभाग में पदाधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की कमी थी जो इन बकायों के संचयन का कारण हो सकता है।

⁹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

2.3.9 राजस्व में बकाया

31 मार्च 2014 को नमूना जाँच किये गये 12 अंचलों¹⁰ में राजस्व के संग्रहण में 1,225.51 करोड़ बकाया था जैसा कि तालिका - 2.3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.3.9

(करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान योग	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	अंतिम शेष
2009-10	1,747.79	161.21	1,910.00	518.86	1,391.14
2010-11	1,381.94	81.14	1,463.08	71.28	1,391.80
2011-12	1,761.68	131.85	1,893.53	234.94	1,658.59
2012-13	1,583.33	395.33	1,978.66	414.34	1,564.32
2013-14	1,564.32	175.42	1,739.74	514.23	1,225.51

बकायों का कारण और उनकी वसूली हेतु की गयी कार्रवाई हालाँकि पूछा गया (जून 2015), प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित अंचलों ने बकायों की आवधिकता और सन्निहित राजस्व सहित नीलामपत्रवाद दायर किये जाने योग्य मामलों को प्रस्तुत नहीं किया। बकायों के आवधिकता की अनुपलब्धता के कारण बकायों का अवधिवार विश्लेषण नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हालाँकि झा.मू.व.क. अधिनियम 1 अप्रैल, 2006 से अस्तित्व में आया, लेखापरीक्षा ने करनिर्धारण प्रणाली की समीक्षा की और कई कमियाँ पायीं जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.3.10 करनिर्धारण में कमियाँ

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत धारा 35 और धारा 9, के.बि.क. अधिनियम, 1956 एवं इसके अधीन बनाई गई नियमावलियों में कर के निर्धारण और स्व-करनिर्धारण का प्रावधान है। उचित करनिर्धारण और एक सशक्त संग्रहण तंत्र सक्षम एवं प्रभावी कर प्रबंधन के आवश्यक तत्व हैं। लेखापरीक्षा ने करनिर्धारण, कर का संग्रहण, ब्याज और अर्थदंड हेतु झा.मू.व.क. और के.बि.क. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कमियाँ पायीं।

¹⁰ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरी, रामगढ़, राँची पूर्वी, दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

2.3.10.1 कर के स्वनिर्धारण की प्रणाली का व्यवहार नहीं किया जाना

विभाग पूर्ववर्ती बिक्री कर काल की तरह निबंधित व्यवसायियों का कर निर्धारण जारी रखा और व्यवसायियों को स्वनिर्धारण का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 35 प्रावधान करता है कि एक निबंधित व्यवसायी या निबंधित होने योग्य एक व्यवसायी से एक कर अवधि से संबंधित देय कर की राशि स्वनिर्धारित माना जाएगा यदि व्यवसायी ने निर्धारित अवधि के भीतर सारे आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी विवरणियाँ और वार्षिक विवरणी दाखिल किया है और इस तरह दाखिल विवरणियाँ व्यवस्थित और गणितीय रूप से सही पाया गया हो।

हमने 13 अंचलों¹¹ से स्वनिर्धारण के आँकड़े एकत्र किये जो तालिका 2.3.10.1 में निम्नानुसार थे।

तालिका 2.3.10.1

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या	दाखिल स्व-करनिर्धारण की संख्या	स्वीकार किये गये स्व-करनिर्धारण की संख्या
2009-10	35,090	12	1
2010-11	39,061	12	3
2011-12	45,732	11	2
2012-13	50,347	7	2
2013-14	55,835	8	4

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान मात्र 50 व्यवसायियों ने स्व-करनिर्धारण का चुनाव किया और इनमें से, 12 व्यवसायियों के मामले में स्व-करनिर्धारण स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप, अधिनियम की घोषणा के समय से स्व-करनिर्धारण का प्रावधान विद्यमान होने के बावजूद इन वर्षों में लगभग सभी मामले पूर्ववर्ती बिक्री कर काल की तरह क.नि.प्रा. द्वारा निर्धारित किये गये। प्रतिवर्ष निबंधित व्यवसायियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिये विभाग में पदाधिकारियों और सहायक कर्मियों की काफी कमी थी जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 में 11,313 से 2013-14 के अंत में 22,614 निर्धारण के बकायों में संचित वृद्धि हुई जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 2.3.22.4 एवं 2.3.8 में इंगित किया गया है। निर्धारण के बढ़ते बकायों को ध्यान में रखते हुए, झा.मू.व.क. अधिनियम को मई 2011 में स्व-निर्धारण के साथ 'निर्धारण' शब्द शामिल करने के लिये संशोधित (वर्ष 2011 का अध्यादेश 2) किया गया और निर्धारण हेतु समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।

¹¹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने हेतु पहल के अभाव को पहले ही इंगित किया गया था जिसमें इस उद्देश्य हेतु आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया गया।

हमने मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निबंधित व्यवसायियों के बीच स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने पर विचार कर सकती है।

2.3.10.2 उचित सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया जाना

सर्वेक्षणों के तौर तरीके अर्थात्, तय किये जाने वाले क्षेत्रों, सर्वेक्षणों की आवधिकता और प्रत्येक सर्वेक्षण में ली जाने वाली व्यवसायियों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 25 प्रावधान करता है कि कर भुगतान का उत्तरदायी होने पर कोई भी व्यवसायी व्यवसाय नहीं करेगा जब तक वह निबंधित नहीं हुआ हो। अग्रेतर, धारा 71 ऐसे व्यवसायियों जो कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन अनिबंधित है, की पहचान का प्रावधान करता है, विहित प्राधिकारी समय-समय पर अनिबंधित व्यवसायियों का सर्वेक्षण करेगा।

हमने 13 अंचलों¹² से व्यवसायियों के निबंधन एवं सर्वेक्षण के संचालन से संबंधित सूचनाएँ एकत्र की और देखा कि संचालित किये गये 4,063 सर्वेक्षणों के बाद 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान मात्र 1,959 नए व्यवसायी¹³ निबंधित किये गये जैसा कि तालिका - 2.3.10.2 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.3.10.2

वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
आदित्यपुर	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	10	9	5	5	29	16	3	3	47	33
बोकारो	205	31	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	77	12	153	15	435	58
चाईबासा	77	15	72	15	50	8	31	6	66	10	296	54
देवघर	103	25	62	28	72	49	84	52	44	31	365	185
धनबाद	3	18	5	23	6	25	8	35	8	32	30	133
गिरिडीह	38	32	2	2	18	15	34	28	191	162	283	239
जमशेदपुर	261	175	77	43	70	32	124	65	150	78	682	393
जमशेदपुर नागरीय	118	31	49	18	34	15	58	20	14	7	273	91
रामगढ़	35	10	25	8	85	57	69	62	83	23	297	160
राँची पूर्वी	89	26	29	5	28	15	16	7	शून्य	शून्य	162	53

¹² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर शहरी, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

¹³ आदित्यपुर-33, बोकारो-58, चाईबासा - 54, देवघर-185, धनबाद-133, गिरिडीह-239, जमशेदपुर-393, जमशेदपुर नागरीय-91, रामगढ़-160, राँची पूर्वी -53, राँची दक्षिणी-6 और राँची पश्चिमी-81, तेनुघाट-473।

तालिका - 2.3.10.2

वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
राँची दक्षिणी	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	17	शून्य	14	शून्य	16	3	73	3	120	6
राँची पश्चिमी	84	7	103	11	119	16	127	21	137	26	570	81
तेनुघाट	83	76	112	108	124	116	96	88	88	85	503	473
कुल	1,061	436	538	262	540	296	700	353	927	452	4,063	1,959

'अ'-संचालित सर्वेक्षणों की संख्या। 'ब' - निर्बंधित व्यवसायियों की संख्या।

अधिनियम में अनिबंधित व्यवसायियों के सर्वेक्षण का प्रावधान था, फिर भी सर्वेक्षण के तौर तरीके अर्थात् तय किये जाने वाले क्षेत्रों, सर्वेक्षणों की आवधिकता और प्रत्येक सर्वेक्षण में ली जाने वाली व्यवसायियों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। हमने, आगे पाया कि शीर्ष स्तर पर इन सर्वेक्षणों का अनुश्रवण नहीं किया गया।

2.3.10.3 अनिबंधित कार्य संवेदकों का पता नहीं लगाया जाना

विभाग ने अनिबंधित संवेदक व्यवसायियों का पता लगाने के लिये करनिर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरण का उपयोग नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 8(5) (डी) के प्रावधानों के अंतर्गत, कार्य संवेदक निर्बंधित होने और तदनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं यदि आवर्त ₹ 25,000 से अधिक है। अग्रेतर धारा 38(2) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसायी निर्धारित कर की राशि के अलावा, निर्धारित कर की राशि के बराबर राशि या दस हजार रुपये की राशि जो भी अधिक हो, अर्थदंड के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

हमने वाणिज्य कर विभाग के दो निर्धारितियों¹⁴ के करनिर्धारण अभिलेखों से सूचना/आँकड़ा प्राप्त किया (जून 2014 और जनवरी 2015 के बीच) और देखा कि उक्त निर्धारितियों ने 54 अनिबंधित उप संवेदकों की सूची प्रस्तुत किया जिन्हें उप-संविदा प्रदान किया गया था और उन्हें वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 15.29 करोड़ का भुगतान किया गया था। क.नि.प्रा. ने निर्धारितियों का करनिर्धारण किया (मार्च 2011 और दिसंबर 2013 के बीच) लेकिन आँकड़ों के विभागांतर्गत आदान-प्रदान हेतु तंत्र के अभाव के कारण उन 54 अनिबंधित उप संवेदकों की पहचान नहीं कर सके।

क.नि.प्रा. द्वारा निर्बंधन हेतु उत्तरदायी व्यवसायियों/संवेदकों का पता नहीं लगाये जाने के कारण ₹ 1.91 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 3.82 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ (परिशिष्ट-1)।

¹⁴ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. राँची पूर्वी अंचल में निर्बंधित (2008-09, 2009-10 और 2010-11) और लार्सन एंड टुब्रो (2010-11) जमशेदपुर अंचल में निर्बंधित।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखा परीक्षा अवलोकनों से सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अवलोकनों को इंगित किये जाने हेतु आयुक्त ने आभार व्यक्त किया और कहा कि कोषागार के साथ अन्य विभागों से भी आँकड़ों के आदान-प्रदान के माध्यम से व्यवसायियों की पहचान करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे यह कहा गया कि अगस्त 2015 में झा.मू.व.क.नियम, 2006 में एक नया संशोधन भी किया गया है जिसमें इस नीति के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में व्यवसायियों को निबंधन हेतु आकर्षित करने के लिये व्यवसायियों के नए निबंधन पर सुरक्षित जमा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। सीमा-रेखा से नीचे के व्यवसायियों के निबंधन के लिए एक डाटाबेस तैयार करने के संबंध में यह कहा गया कि विकसित किये जा रहे नये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान हेतु शीर्ष स्तर पर उचित अनुश्रवण के साथ उन्हें कर के दायरे में लाने के लिये आवधिक सर्वेक्षण और आँकड़ों के विभागान्तर्गत आदान-प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

2.3.11 खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 37(6) और के.बि.क. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि व्यवसायी ने ऐसे आवर्त के ब्यौरे को छुपाया है या ऐसे आवर्त का गलत विवरण प्रस्तुत किया है जिससे विवरणित के आँकड़े वास्तविक राशि से कम हैं, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी के छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में इस तरह निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुने के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि 13 अंचलों में निबंधित 45,732 व्यवसायियों में नमूना जाँच किये गये 1,062 व्यवसायियों में से 70 व्यवसायियों के मामले में ₹ 1,404.19 करोड़ के खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाव हुआ था, परिणामस्वरूप ₹ 128.51 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 192.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.3.11.1 मू.व.क. के अंतर्गत खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाया जाना

2009-10 से 2011-12 की अवधि हेतु व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणित
` 14,082.80 करोड़ के बजाय वास्तविक खरीद/बिक्री ` 15,313.35 करोड़ थी।
` 1,230.55 करोड़ के आवर्त के छिपाव के परिणामस्वरूप ` 157.25 करोड़ के
कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने 11 वाणिज्यकर अंचलों¹⁵ में देखा (फरवरी 2014 और मई 2015 के बीच) कि विभिन्न वस्तुओं¹⁶ का व्यापार करने वाले 1,045 व्यवसायियों में से 53 व्यवसायियों (फरवरी 2012 और मार्च 2015 के बीच कर निर्धारित) ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि हेतु ` 14,082.80 करोड़ के सकल खरीद/बिक्री की विवरणियाँ दाखिल की। तथापि, करनिर्धारण अभिलेखों¹⁷ में उपलब्ध दस्तावेजों की हमारी जाँच ने इंगित किया कि इन व्यवसायियों ने वास्तव में ` 15,313.35 करोड़ का माल खरीदा/बेचा था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण करते समय इसकी संवीक्षा नहीं की और व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने अपने विवरणियों में खरीद/बिक्री में ` 1,230.55 करोड़ के आवर्त को छिपाया था। इसके परिणामस्वरूप ` 104.84 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ` 157.25 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट - II)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार सहमत हुए और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.11.2 तिर्यक-जाँच द्वारा पता लगाये गये बिक्री/खरीद का छिपाव

अंतर्विभागीय आँकड़े/सूचनाओं के तिर्यक जाँच ने बिक्री/खरीद आवर्त के छिपाव और परिणामी ` 35.50 करोड़ के कर के अवनिर्धारण को उद्घटित किया।

हमने अन्य विभागों¹⁸ और झारखण्ड में उसी या अन्य वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित अन्य व्यवसायियों से आँकड़ा/सूचना प्राप्त किया तथा सात वाणिज्यकर अंचलों¹⁹ में व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच किया और

¹⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर शहरी, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

¹⁶ फोर्जिंग्स, पिग आयरन, मोटर पार्ट्स, कोयला और कोक, लौह एवं इस्पात, एच.ई.एम.एम. पार्ट्स, कंप्यूटर, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि।

¹⁷ आवधिक विवरणियाँ, झा.मू.व.क.- 409 में व्यापार खाते, घोषणा प्रपत्रों 'सी' और 'एफ' के उपयोगिता प्रमाण पत्रों, झा.मू.व.क. 504-जी एवं झा.मू.व.क.-504 बी में सड़क परमितों की उपयोगिता।

¹⁸ निदेशक, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, राँची, कार्यपालक अभियंता, आर.डी.एस., बोकारो, जिला खनन पदाधिकारी चाईबासा और कार्यपालक अभियंता, आर.डब्ल्यू.डी., बोकारो, टाटा स्टील और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ढोरी और अरगंडा क्षेत्रों के करनिर्धारण अभिलेख।

¹⁹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, रामगढ़, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

देखा (जनवरी 2015 और अप्रैल 2015 के बीच) कि 17 व्यवसायियों/कार्य संवेदकों ने, 2009-10 और 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों/वार्षिक अंकेक्षित खातों, जिस पर फरवरी 2011 और मार्च 2014 के बीच अंतिम रूप से करनिर्धारण किया गया, के माध्यम से ₹ 959.99 करोड़ की खरीद/बिक्री का आवर्त दिखाया था। तथापि, हमारे तिर्यक-जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायियों/संवेदकों ने वास्तव में ₹ 1,133.63 करोड़ का माल प्राप्त किया/बेचा था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने ₹ 173.64 करोड़ का आवर्त छिपाया था और वे ₹ 23.67 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 35.50 करोड़ कर के भुगतान के उत्तरदायी थे (परिशिष्ट - III)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.12 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत सकल आवर्त का गलत निर्धारण

₹ 1,703.81 करोड़ के वास्तविक स.आ. के बजाय ₹ 1,598.64 करोड़ का सकल आवर्त (स.आ.) निर्धारित किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 105.18 करोड़ के गलत स.आ. का निर्धारण एवं परिणामी ₹ 11.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (xxv) के प्रावधानों के अंतर्गत, सकल आवर्त (स.आ.) किसी देय अवधि के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम राज्य के बाहर वस्तुओं की बिक्री अथवा निर्यात के लिए प्राप्त या प्राप्य सकल राशियों का योग है।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों²⁰ में (मार्च 2014 और मार्च 2015 के बीच) 717 व्यवसायियों में से 622 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की और देखा कि 13 व्यवसायियों के मामले में 2007-08, 2010-11 और 2011-12 की अवधि हेतु ₹ 1,598.64 करोड़ का स.आ. निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक सकल आवर्त ₹ 1,703.81 करोड़ था। यह अवलोकित किया गया कि इन सभी मामलों में या तो दस्तावेजों, जैसे वार्षिक विवरणियाँ, प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में अंकेक्षित लेखे, व्यापार खाते की उचित ढंग से जाँच नहीं की गयी या अधिनियम की बिक्री आवर्त के तत्वों को परिभाषित करने वाली संबंधित धारा की ठीक से व्याख्या नहीं की गई। क.नि.प्रा. ने (मार्च 2010 और मार्च 2014 के बीच) करनिर्धारणों को संपन्न करते समय विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आँकड़े पर विचार नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 105.18 करोड़ के स.आ. का गलत निर्धारण और परिणामी ₹ 11.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट - IV)।

²⁰ चाईबासा, देवघर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि विवरणियों के आँकड़ों और सकल आवर्त के निर्धारण के बीच अंतर का ध्यान रखने हेतु प्रणाली को अद्यतन किया जा रहा है। अधिनियम/नियमावलियों में आवश्यक संशोधन हेतु कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.13 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के स्वीकृति में अनियमितताएँ

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत एक निबंधित व्यवसायी कर अवधि के दौरान राज्यान्तर्गत उसके क्रय आवर्त पर दूसरे निबंधित व्यवसायी को भुगतान की गई राशि पर आई.टी.सी. का हकदार है। विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच ने नौ अंचलों में 35,129 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,186 में से 24 व्यवसायियों के मामले में आई.टी.सी. दावों में अनियमितता यथा अनियमित/गैर-स्वीकार्य आई.टी.सी. दावे, अधिक दावे, आई.टी.सी. का अव्युत्क्रमण और उस पर ₹ 8.35 करोड़ के ब्याज प्रभारित नहीं किया जाना उद्घटित किया जैसा कि निम्नांकित कंडिकाओं में चर्चा की गयी है :

2.3.13.1 आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

व्यवसायी ने वस्तुओं के राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 156.76 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया था। तथापि, समर्पित झा.मू.व.क.-404 में घोषणाओं के आधार पर व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 148.50 करोड़ के आई.टी.सी. के हकदार थे।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18 प्रावधान करता है कि जब एक निबंधित व्यवसायी दूसरे निबंधित व्यवसायी से राज्य के भीतर अधिनियम के धारा 13 के अंतर्गत उसे कर के भुगतान के बाद कोई कर योग्य माल खरीदता है तो वह निर्धारित तरीके से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने के हकदार है।

हमने नौ वाणिज्य कर अंचलों²¹ में (मार्च 2014 और मई 2015 के बीच) देखा कि नमूना जाँच किये गये 1,002 व्यवसायियों में से 20 व्यवसायियों ने 2008-09 और 2011-12 के बीच वस्तुओं के राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 156.76 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2011 और मार्च 2015 के बीच) व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत झा.मू.व.क.-404 में घोषणाओं और आई.टी.सी. के संविभाजन के आधार पर ₹ 153.47 के आई.टी.सी. की स्वीकृति दे दी। झा.मू.व.क. 404 में घोषणाओं और कर योग्य आवर्त के विवरणियों की हमारी जाँच ने, हालाँकि, उद्घटित किया कि राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण, अनिबंधित

²¹ बोकारो, चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

व्यवसायियों को की गयी अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ, अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का गलत संविभाजन, नकारात्मक सूची के सामानों की खरीद पर आई.टी.सी. के दावा इत्यादि, के मामले थे और ये व्यवसायी वास्तव में मात्र ` 148.50 करोड़ की राशि के आई.टी.सी. के हकदार थे। इसके परिणामस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा ` 4.98 करोड़ अधिक आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा, व्यवसायी गलत आई.टी.सी. का लाभ उठाने हेतु ` 2.80 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे (परिशिष्ट - V)।

2.3.13.2 आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति

व्यवसायी ने एल.पी.जी. सिलेंडरों को पैकिंग सामग्री मानते हुए इसकी राज्यान्तर्गत खरीद पर ` 8.65 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने पूर्ण आई.टी.सी. की स्वीकृति दी। हालाँकि, एल.पी.जी. सिलेंडर पूँजीगत वस्तु है जिसकी सुरक्षित जमा के भुगतान पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है और इसे उपभोक्ताओं को बेचा नहीं जाता है।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18 और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट कर का दावा करने वाला व्यवसायी करयोग्य वस्तुओं के वाणिज्यिक उत्पादन या बिक्री के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को प्रपत्र झा.मू.व.क.-118 में आवेदन करेगा।

हमने जमशेदपुर वाणिज्यकर अंचल में देखा (जनवरी 2015) कि पेट्रोलियम उत्पादों का व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी के मामले में, पैकिंग सामग्री मानते हुए एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों की राज्यांतर्गत खरीद पर ` 8.65 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने नवंबर 2013 में वर्ष 2010-11 का करनिर्धारण संपन्न करते समय पूर्ण आई.टी.सी. की स्वीकृति दी। तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री नहीं की जाती बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित जमा के भुगतान पर आपूर्ति की जाती है जो एल.पी.जी. कनेक्शन के समर्पण के समय वापसी योग्य है। इस प्रकार, एल.पी.जी. सिलेंडर को पूँजीगत वस्तुओं के बजाय पैकिंग सामग्री (मूल वस्तु के साथ बेचे जाने योग्य) मानना गलत था, फलस्वरूप ` 8.65 लाख के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई, साथ ही व्यवसायी नियत तिथि तक ` 8.65 लाख के वास्तविक कर के भुगतान नहीं किये जाने के लिए ` 2.68 लाख की राशि के ब्याज भुगतान का उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, व्यवसायी अर्थदंड के भुगतान का भी उत्तरदायी था।

2.3.13.3 कार्य संवेदकों को आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति

कार्य संवेदकों जिन्होंने सामग्रियों के सही आवर्त के निर्धारण के लिए लेखाओं का संधारण नहीं किया था को ₹ 46.22 लाख की आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के अंतर्गत, जहाँ किसी संवेदक मू.व.क. व्यवसायी ने वस्तुओं के सही मूल्य का निर्धारण करने हेतु लेखाओं का संधारण नहीं किया है, वह प्राप्त कुल प्रतिफल पर उच्चतर दर से कर का भुगतान करेगा और आई.टी.सी.दावे का पात्र नहीं होगा।

हमने जमशेदपुर शहरी और राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचलों में 183 व्यवसायियों का नमूना जाँच किया (जनवरी और मार्च 2015 के बीच) और देखा कि तीन संवेदक मू.व.क. व्यवसायियों ने कार्य संविदा में प्रयुक्त सामग्रियों की राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 47.99 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया और इसे देय आउटपुट कर के विरुद्ध समायोजित किया था। चूँकि संवेदकों ने लेखाओं का संधारण नहीं किया था, क.नि.प्रा. ने 2010-11 और 2011-12 हेतु करनिर्धारण को संपन्न करते समय (जून 2013 और मार्च 2014 के बीच) प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में अपेक्षित घोषणाओं के प्रस्तुतिकरण के आधार ₹ 46.22 लाख के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.22 लाख के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति दी गयी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार तथ्य से सहमत हुए और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में घोषणा के संभावित दुरुपयोग के बारे में इंगित किये जाने पर आयुक्त द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 के विरुद्ध आई.टी.सी.की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव उपाय किया जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.14 कर का अल्पारोपण

करनिर्धारण प्राधिकारी (क.नि.प्रा.) ने करनिर्धारण संपन्न करते समय, दरों की अनुसूची में दिये गये कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर के निम्नतर दर को लागू किया गया।

सात वाणिज्य कर अंचलों²² में करनिर्धारण अभिलेखों के हमारी जाँच से 27,528 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 852 व्यवसायियों में से 13 व्यवसायियों के मामले में वस्तुओं के गलत वर्गीकरण और कर के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 6.27 करोड़ के कर का अल्पारोपण उद्घटित हुआ जैसा कि निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

²² आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

2.3.14.1 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अल्पारोपण

व्यवसायियों ने वस्तुओं की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत के आरोप्य दर के बजाय चार प्रतिशत की दर स्वीकार कर अपना विवरणी दाखिल किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के धारा 9 और 13 के प्रावधानों और उसके साथ संलग्न अनुसूची-II भाग - डी के अधीन पेंट, कोल ब्रिकेट और ग्लास 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

हमने चार वाणिज्यकर अंचलों²³ में (मार्च 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) देखा कि नमूना जाँच किये गये पेंट, सीमेंट, कोल ब्रिकेट और ग्लास का व्यवसाय करने वाले 368 व्यवसायियों में से छः व्यवसायियों के मामले में, 2009-10 और 2010-11 के बीच की अवधि हेतु चार प्रतिशत की दर स्वीकार करते हुए अपना विवरणियाँ दाखिल की थी। क.नि.प्रा. ने मार्च 2013 और मार्च 2014 के बीच इन व्यवसायियों के करनिर्धारण संपन्न करते समय ₹ 14.41 करोड़ मूल्य के सामानों की बिक्री पर अनुसूची में दी गयी दर के बजाय व्यवसायी के द्वारा उनकी विवरणियों में प्रस्तुत कर को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ जैसा कि तालिका 2.3.14.1 में उल्लिखित है (परिशिष्ट - VI)।

तालिका- 2.3.14.1

(₹ लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम व्यवसायी की संख्या	अवधि करनिर्धारण माह	अवलोकनों की प्रकृति	आरोप्य कर आरोपित कर	अल्प आरोपण
1	रामगढ़ एक	2010-11 मार्च 2014	हालाँकि, ग्लास की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था, लेकिन कर चार प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया।	52.23 16.71	35.52
2	जमशेदपुर नागरीय एक	2009-10 मार्च 2013	हालाँकि, पेंट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था, लेकिन चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया	33.68 10.78	22.90

²³ जमशेदपुर, रामगढ़, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

तालिका- 2.3.14.1

(लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम व्यवसायी की संख्या	अवधि करनिर्धारण माह	अवलोकनों की प्रकृति	आरोप्य कर आरोपित कर	अल्प आरोपण
3	तेनुघाट दो	2010-11 अगस्त 2013 और जनवरी 2014 के बीच	क.नि.प्रा. ने एक मामले में कोल ब्रिकेट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। अग्रेतर, एक अन्य मामले में, व्यवसायी ने अधिनियम की धारा 58 के अधीन कंपोजीशन स्कीम का विकल्प दिया था। हालाँकि, आवर्त 50 लाख से अधिक था पर क.नि.प्रा.ने 4/12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 0.5 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।	7.01 2.03	4.98
4	राँची पश्चिमी दो	2010-11 जून और जुलाई 2013 के बीच	क.नि.प्रा. ने सीमेंट/मोटर वाहन पर 12.5 प्रतिशत के आरोप्य दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।	86.57 27.70	58.87
कुल				179.49 57.22	122.27

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने तथ्य से सहमत हुए और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उत्तर/की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.14.2 कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अल्पारोपण

आवश्यक दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के कारण, क.नि.प्रा. ने करनिर्धारणों को संपन्न करते समय 59.41 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया और 12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि संवेदक मू.व.क. व्यवसायी ने वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारित करने हेतु खातों का संधारण नहीं किया है, तो वह निर्दिष्ट कटौती (अन्य संविदा के मामले में 30 प्रतिशत) के बाद कुल प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर 12.5 प्रतिशत (7 मई 2011 से 14 प्रतिशत) की दर से कर का भुगतान करेगा।

हमने पाँच वाणिज्यकर अंचलों²⁴ में देखा (जनवरी 2015 और मार्च 2015 के बीच) कि 484 व्यवसायियों (कार्य संवेदकों) में से सात व्यवसायियों के मामले में व्यवसायियों ने 2008-09 और 2011-12 के बीच की अवधि हेतु ₹ 316.45 करोड़ का सकलावर्त निर्धारित करते हुए अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी, जिसमें, व्यवसायियों ने श्रम और अन्य गैर करयोग्य व्ययों पर ₹ 119.58 करोड़ के छूट का दावा किया था। तथापि, अपेक्षित दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के कारण क.नि.प्रा. ने मार्च 2011 और मार्च 2014 के बीच इन व्यवसायियों के करनिर्धारण को संपन्न करते समय ₹ 59.41 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया और 12.5 प्रतिशत/14 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.05 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-VII)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार इस तथ्य पर सहमत हुए और कहा कि संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को उत्तर/की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.15 क्रय कर का आरोपण नहीं होना

क.नि.प्रा. ने करारोपण से छूट वाली वस्तुओं के उत्पादन में उपभोग किये गये वस्तुओं की खरीद पर क्रय कर का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर के भुगतान का उत्तरदायी प्रत्येक व्यवसायी जो किसी व्यवसायी से उन परिस्थितियों में, जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है, किन्हीं वस्तुओं की खरीद करता है तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा यदि ऐसी खरीद के बाद वस्तुओं का उपयोग या उपभोग उन वस्तुओं के उत्पादन पर किया जाता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त घोषित हो। ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा जो ऐसी वस्तुओं की राज्यान्तर्गत बिक्री पर आरोपित होती।

हमने देवघर और तेनुघाट वाणिज्यकर अंचलों में (मई 2014 और मार्च 2015 के बीच) देखा कि क.नि.प्रा. ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि हेतु करनिर्धारण को फरवरी 2011 और जनवरी 2014 के बीच करते समय नमूना जाँच किये गये 177 व्यवसायियों में से दो व्यवसायियों के मामले में क्रय कर का आरोपण नहीं किया, जिन्होंने अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 9.15 करोड़ मूल्य के सामानों के क्रय के बाद उसका उपभोग कर आरोपण से छूट वाली वस्तुओं के उत्पादन में और खनन प्रक्रिया में किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 95.64 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं हुआ।

²⁴ आदित्यपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.16 देय कर का नहीं/अल्प भुगतान के लिए ब्याज का अनारोपण/अल्पारोपण

क.नि.प्रा. ने अस्वीकृत दावों/स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के अनियमित समायोजन पर ब्याज का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 30 (1) और (3) के अंतर्गत, यदि एक व्यवसायी, बिना पर्याप्त कारण के, किसी कर अवधि हेतु विवरणी के अनुसार कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो क.नि.प्रा., व्यवसायी को कर भुगतान देय होने की तिथि से कर भुगतान की तिथि या आदेश की तिथि तक, जो भी पहले हो, एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भुगतान करने का निर्देश देगा और व्यवसायी को निर्धारित अतिरिक्त कर और भुगतये ब्याज पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदंड भुगतान का निर्देश दे सकता है।

12 अंचलों में 43,000 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,125 में से 46 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच से स्वीकृत कर/देय कर के भुगतान नहीं/विलंब होने, अस्वीकृत असमर्थित दावे, गलत छूटें और रियायतों पर ₹ 38.43 करोड़ का ब्याज का अनारोपण उद्घटित हुआ, जैसा कि निम्नांकित कंडिकाओं में चर्चा की गयी है :

2.3.16.1 छूटें और रियायत के असमर्थित दावों पर ब्याज का अनारोपण नहीं होना

क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण को संपन्न करते समय दावा किये गये छूटों/रियायतों /आई.टी.सी. उपभोग के प्रमाण/आवश्यक प्रपत्रों के अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 2,068.53 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया और ₹ 112.12 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया पर देय कर का भुगतान न करने पर ब्याज आरोपित नहीं किया।

हमने (फरवरी 2014 और मई 2015 के बीच) 12 वाणिज्यकर अंचलों²⁵ में विभिन्न वस्तुओं²⁶ का कारोबार करने वाले 1,037 व्यवसायियों में से 45 व्यवसायियों के

²⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

²⁶ लौह एवं इस्पात, लौह अयस्क, एस्बेस्टस शीट, कोयला, स्क्रेप, सिलिको मँगनीज, ग्लास, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, फायर ब्रिक्स, आईटी उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पादों, मोटर वाहन, मशीनरी पार्ट्स आदि।

मामले में देखा कि व्यवसायियों ने 2009-10 और 2011-12 के बीच की अवधि के दौरान देय कर का भुगतान, आई.टी.सी., रियायती दर पर बिक्री, राज्य के बाहर भंडार अंतरण के छूट, निर्यात बिक्री, मार्गस्थ बिक्री का ₹ 29,205.83 करोड़ का दावा किया था और तदनुसार करों का भुगतान किया था।

क.नि.प्रा. ने दिसंबर 2012 और जनवरी 2015 के बीच करनिर्धारण संपन्न करते समय ₹ 2,068.53 करोड़ के दावे को आवश्यक घोषणा प्रपत्रों/ऐसे दावाकृत छूटों/रियायतों के प्रमाण के अप्रस्तुतिकरण के कारण अस्वीकृत कर दिया और या तो आई.टी.सी. को अस्वीकृत करते हुए या राज्य में आरोप्य उचित दर पर कर आरोपित करते हुए ₹ 112.12 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया।

हमने अग्रेतर अवलोकित किया कि क.नि.प्रा. द्वारा विवरणियों की आवधिक जाँच नहीं की गयी और व्यवसायियों को करनिर्धारण की तिथि तक वास्तविक देय कर को रोक रखने की अनुमति दी गयी। इस प्रकार, व्यवसायियों ने वास्तव में गलत विवरणियाँ प्रस्तुत कीं और वास्तविक देय कर का भुगतान नहीं किया था। हालाँकि क.नि.प्रा. ने व्यवसायियों के अस्वीकृत दावों पर अतिरिक्त कर आरोपित किया पर देय कर का भुगतान नहीं करने के लिए ₹ 38.28 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके अलावा, व्यवसायी अर्थदंड के भुगतान के भी उत्तरदायी थे।

2.3.16.2 देय कर और उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना

व्यवसायी ने अपने आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों से काटी गयी ₹ 10.84 लाख की टी.डी.एस. की राशि को देय कर से समायोजित किया हालाँकि टी.डी.एस. की राशि को अलग से जमा किये जाने की आवश्यकता थी।

हमने राँची पूर्वी वाणिज्यकर अंचल में 88 व्यवसायियों (2014 नवंबर) की नमूना जाँच की और पाया कि एक व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान विवरणी के अनुसार भुगतेय कर का भुगतान ₹ 246.52 करोड़ दर्शाया था जिसका करनिर्धारण क.नि.प्रा. द्वारा किया गया (मार्च 2014) और ₹ 246.42 करोड़ के निर्धारित कर से जमा किये गये कर को घटाकर तदनुसार माँग पत्र निर्गत किया गया। तथापि, हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी द्वारा भुगतान किये गये ₹ 246.52 करोड़ में से, ₹ 10.84 लाख व्यवसायी के द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों से काटी गयी टी.डी.एस. की राशि थी, जिसे झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 23 के अंतर्गत अलग से जमा किया जाना था। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 10.84 लाख का वास्तविक देय कर जमा नहीं किया और वास्तविक भुगतेय कर जमा नहीं करने हेतु ₹ 3.80 लाख²⁷ के ब्याज भुगतान करने का भी उत्तरदायी था।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और कहा कि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005

²⁷ ब्याज की गणना, कर पर एक प्रतिशत प्रति माह के दर से 35 महीनों के लिए।

की धारा 30 और 35 के अधीन प्रावधानों के संदर्भ में मामले को देखा जाएगा। मामलों को संबंधित वाणिज्यकर अंचलों में उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रसारित कर दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.17 धारा 40 (2) के अंतर्गत ब्याज का आरोपण नहीं होना

क.नि.प्रा. ने वस्तुओं को नहीं/कम लेखापित करने, वस्तुओं के अवमूल्यन का अवनिर्धारण का पता लगाने और गलत, अपूर्ण एवं अविश्वसनीय लेखा पुस्तों के प्रस्तुतिकरण के बाद अनिवार्य ब्याज आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी करनिर्धारण के पूर्व या अन्यथा पता लगाता है कि किसी निबंधित व्यवसायी ने उसके द्वारा भुगतये कर की राशि को कम करने की दृष्टि से किसी बिक्री या खरीद या उसका कोई ब्यौरा छिपाया है या स्वयं द्वारा प्रस्तुत विवरणी में अपने आवर्त का गलत तथ्य या अपने बिक्री या खरीद का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है, वह निर्धारिती को अप्रकट किये गये या छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा ब्याज के रूप में एक राशि दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने 10 वाणिज्यकर अंचलों²⁸ में लेखापरीक्षा हेतु अधियाचित 1,138 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों में से 955 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (मार्च 2014 और मई 2015 के बीच) और देखा कि 16 व्यवसायियों ने 2009-10 और 2011-12 के बीच की अवधि हेतु खरीद/बिक्री के लिए ₹ 2,045.15 करोड़ का सकल आवर्त स्वीकार करते हुए अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी। क.नि.प्रा. ने इन व्यवसायियों का करनिर्धारण संपन्न करते समय (दिसंबर 2012 और नवंबर 2014 के बीच) वस्तुओं को नहीं/कम लेखापित करने दर्शाने, वस्तुओं के अवमूल्यन और गलत, अपूर्ण या अविश्वसनीय लेखा पुस्तों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर, इसे ₹ 542.74 करोड़ की अतिरिक्त राशि बढ़ाते हुए, ₹ 2,587.89 करोड़ का सकलावर्त निर्धारित किया। तथापि, हमारी जाँच ने यह इंगित किया कि क.नि.प्रा. ने छिपाये गये आवर्त पर ₹ 44.69 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया पर ₹ 31.66 करोड़ का ब्याज हालाँकि आरोप्य था, तथापि, आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.66 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

²⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, तेनुघाट, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

2.3.18 कर के अधिक संग्रहण के लिए अर्थदंड का नहीं लगाया जाना

व्यवसायियों ने अपने कर दायित्व से ` 16.90 करोड़ अधिक का कर संग्रहित किया था। तथापि, क.नि.प्रा. ने कर के अधिक संग्रहण के लिए ` 33.80 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 47(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि कोई निबंधित व्यवसायी उसके द्वारा भुगतये कर से अधिक कोई राशि कर के रूप में संग्रह करता है तो उसके द्वारा भुगतये कर जिसके लिये वह उत्तरदायी हो सकता है के अतिरिक्त, कर के रूप में इस तरह संग्रहित राशि के दुगुना के बराबर राशि के अर्थदंड का उत्तरदायी होगा।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों²⁹ में अधियाचित 271 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों में से 233 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (मार्च 2014 और मार्च 2015 के बीच) कि चार व्यवसायियों ने 2008-09 और 2010-11 के बीच की अवधियों के लिए ` 55.00 करोड़ के कर का संग्रहण किया था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2011 और मार्च 2014 के बीच) व्यवसायियों द्वारा भुगतये ` 38.10 करोड़ का करनिर्धारण किया। इसलिए व्यवसायियों ने अपने कर दायित्व से ` 16.90 करोड़ अधिक का कर एकत्र किया था और वे एकत्र की गयी अधिक कर की जब्ती के अलावा, कर के रूप में इस तरह संग्रहित राशि के दुगुने के बराबर एक राशि के अर्थदंड के भुगतान के उत्तरदायी थे। इसका परिणाम ` 33.80 करोड़³⁰ के अर्थदंड के अनारोपण के अलावा, ` 16.90 करोड़ के अधिक संग्रहित कर की गैर-जब्ती में हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.19 झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत दंड का अधिरोपण नहीं होना

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में लेखापरीक्षित खातों के अप्रस्तुतिकरण हेतु अनिवार्य दंड का अनारोपण/कम आरोपण।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार जहाँ किसी वर्ष विशेष में किसी व्यवसायी का सकल आवर्त ` 40 लाख से अधिक हो, तो ऐसा व्यवसायी निर्दिष्ट तरीके से अपने लेखाओं का लेखापरीक्षा करवाएगा और कर अवधि की

²⁹ जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और राँची दक्षिणी।

³⁰ ` 16.90 करोड़ के अधिक संग्रहित कर की दुगुनी राशि।

समाप्ति से नौ महीने के भीतर इसे प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत करेगा। यदि व्यवसायी ऐसा करने में विफल रहता है तो, विहित प्राधिकारी उस पर अपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय द्वारा निर्धारित आवर्त के 0.1 प्रतिशत के समतुल्य एक राशि अर्थदंड के रूप में आरोपित करेगा।

हमने (जनवरी और फरवरी 2015 के बीच) जमशेदपुर शहरी और देवघर वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 189 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच की और दो व्यवसायियों के मामले में देखा कि क.नि.प्रा. ने ₹ 154.80 करोड़ सकल आवर्त निर्धारित किया। दोनों ही मामलों में लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये जिसने उन्हें ₹ 15.48 लाख के अर्थदंड भुगतान का उत्तरदायी बनाया। क.नि.प्रा. ने एक मामले में मात्र ₹ 6.83 लाख का अर्थदंड आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.65 लाख के अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20 छूट की गलत स्वीकृति

10 वाणिज्यकर अंचलों³¹ में 40,911 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 2,075 व्यवसायियों में से 34 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच से अंतर्राज्यीय एवं राज्यांतर्गत भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग और अमान्य घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत स्वीकृति उद्घटित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ जैसा कि निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

2.3.20.1 अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर छूट की गलत स्वीकृति

क.नि.प्रा. ने ₹ 15,271.46 करोड़ के भंडार अंतरण पर करारोपण से छूट की अनुमति दी हालाँकि व्यवसायी ने ₹ 14,685.88 करोड़ के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणाएँ प्रस्तुत की थी।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार, राज्य के बाहर वस्तुओं के भंडार अंतरण पर कर से छूट का लाभ लेने के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सौदे जो प्रपत्र 'एफ' द्वारा समर्थित न हो के मामले में, राज्य में लागू उचित दर पर कर आरोप्य है।

हमने जमशेदपुर नागरीय वाणिज्यकर अंचल में 129 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और मार्च 2014 में पाया कि एक व्यवसायी ने

³¹ आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

2009-10 की अवधि के दौरान ` 15,271.46 करोड़ के भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने, मार्च 2013 में करनिर्धारण संपन्न करते समय ` 15,271.46 करोड़ के आवर्त पर गलत रूप से करारोपण से छूट की अनुमति दी हालाँकि व्यवसायी ने मात्र ` 14,685.88 करोड़ के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं। इसका परिणाम ` 585.58 करोड़ पर करारोपण से अधिक छूट की अनुमति और फलतः ` 23.42 करोड़³² के कर के अल्पारोपण में हुआ।

इसे हमारे इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत छूट की गलत स्वीकृति

` 22.15 करोड़ मूल्य के राज्य के अन्दर किये गये भंडार अंतरण, रूपांतरण प्रभार, बोनस एवं मूल्य में अंतर जो घोषणा प्रपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों से समर्थित नहीं था, पर कर के आरोपण से छूट दी गयी।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 44 के अनुसार, जहाँ कोई व्यवसायी राज्य के अंदर अपनी शाखाओं में वस्तुओं के भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा करता है तो व्यवसायी इस उद्देश्य हेतु स्थानांतरण करने वाली शाखा द्वारा अपेक्षित तरीके से निर्गत प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर, व्यवसायी राज्य में लागू उचित दर पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा। अग्रतर रूपांतरण प्रभारों, मूल्य में अंतर एवं श्रम प्रभारों पर कर के आरोपण से छूट अनुमत्य है, बशर्ते ऐसे दावे उसके प्रमाणों द्वारा समर्थित हो।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों³³ में 289 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और सात व्यवसायियों के मामलों में पाया (नवंबर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) कि व्यवसायियों ने 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के दौरान राज्य के अंदर भंडार अंतरण, रूपांतर प्रभारों, बोनस एवं मूल्य अंतर के आधार पर ` 37.89 करोड़ के कर के आरोपण से छूट का दावा किया जिसे करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा करनिर्धारण संपन्न करते समय (जून 2013 एवं फरवरी 2014) स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, हमने पाया कि ` 37.89 करोड़ के स्वीकृत छूट में से, व्यवसायी प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 में आवश्यक घोषणा और रूपांतरण जाँच पर श्रम प्रभारों की अस्वीकृति से व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में श्रम प्रभारों को और अंतर्राज्यीय भंडार प्राप्तियों पर मूल्य के अंतर के दावे से संबंधित अन्य दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के कारणों से ` 22.15 करोड़ के छूट के हकदार नहीं थे। इसका

³² ` 585.58 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित।

³³ रामगढ़, राँची पूर्वी और राँची दक्षिणी।

परिणाम छूटों की गलत अनुमति और फलस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के कर के अवनिर्धारण में हुआ (परिशिष्ट-VIII)।

इसे हमारे इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.3 कार्य-संविदा के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

₹ 987.45 के अनुमत्य दावों के विरुद्ध ₹ 1,073.42 करोड़ मूल्य के श्रम एवं अन्य समान प्रभारों के दावों पर कर के आरोपण से छूट की गलत स्वीकृति।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 का नियम 22 कार्य संविदा के उद्देश्य हेतु सकल आवर्त से श्रम के प्रभार एवं अन्य गैर कर योग्य व्ययों को घटाने के पश्चात कर योग्य आवर्त के निर्धारण का प्रावधान करता है। जहाँ संवेदक/वैट व्यवसायी ने वस्तुओं के सही मूल्य निर्धारण के लिये लेखाओं को संधारित नहीं किया है, वह प्राप्त कुल प्रतिफल पर उच्चतर दर से कर का भुगतान करेगा। अग्रेतर, संवेदक द्वारा घोषित ठेके में कार्य के संपादन में उपयोग किये गये वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कम नहीं होगा।

हमने आठ वाणिज्य कर अंचलों³⁴ में 715 संवेदकों/व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया (जुलाई 2014 एवं मई 2015 के बीच) कि 2010-11 की अवधि हेतु 11 व्यवसायियों/कार्य संवेदकों ने ₹ 2,103.96 करोड़ के उनके सकल आवर्त से श्रम एवं अन्य सदृश प्रभारों पर ₹ 1,078.56 करोड़ के कटौती का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (जुलाई 2012 एवं जुलाई 2014 के बीच) पुष्टिकारक प्रमाणों के समर्पण के आधार पर ₹ 1,073.42 करोड़ के आवर्त पर छूट हेतु दावा स्वीकार किया। तथापि, सकल आवर्त से निश्चित प्रभार यथा श्रम प्रभार, उपयोज्य सामग्रियों का मूल्य, श्रम आपूर्ति से संबंधित स्थापना लागत एवं श्रम आपूर्ति से संबंधित अर्जित लाभ और उपसंवेदकों को किये गये भुगतान इत्यादि घटाने के पश्चात, वास्तविक अनुमत्य आवर्त मात्र ₹ 987.45 करोड़ था। इसका परिणाम उनके सकल आवर्त से ₹ 85.97 करोड़ की अधिक कटौती की स्वीकृति में और फलतः ₹ 10.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण में हुआ (परिशिष्ट-IX)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

³⁴ आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़ और राँची दक्षिणी।

2.3.20.4 मार्गस्थ बिक्री में छूट की गलत अनुमति

क.नि.प्रा.ने गलत रूप से ` 231.87 करोड़ के मार्गस्थ बिक्रियों पर छूट की अनुमति दी हालाँकि व्यवसायी मात्र ` 136.44 करोड़ के छूट के हकदार थे क्योंकि बिक्रियाँ राज्यांतर्गत बिक्रियाँ थीं न कि अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत, मार्गस्थ बिक्री का दावा कर के आरोपण से मुक्त है, जहाँ ऐसी बिक्री वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के स्वामित्व के दस्तावेजों के स्थानांतरण द्वारा की गयी हो और ऐसी परावर्ती बिक्री भी पूर्ववर्ती बिक्री द्वारा उत्पन्न उसी संचालन के दौरान होनी चाहिये बशर्ते प्रपत्र 'सी' एवं प्रपत्र 'ई-1' में घोषणाएँ प्रस्तुत हो।

हमने चार वाणिज्य कर अंचलों³⁵ में 339 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों³⁶ की नमूना जाँच की और पाया (नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) कि चार व्यवसायियों के मामलों में क.नि.प्रा. ने निर्धारण के समय (मार्च 2013 एवं मई 2014 के बीच) ` 231.87 करोड़ की राशि के मार्गस्थ बिक्री पर गलत रूप से छूट की स्वीकृति दी यद्यपि हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी मात्र ` 136.44 करोड़ के छूट के हकदार थे। क.नि.प्रा. द्वारा अधिक छूट की स्वीकृति उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन था, परिणामतः ` 95.43 करोड़ के अधिक छूट की अनुमति और परिणामी ` 4.73 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। आयुक्त को बड़े कार्य संवेदकों द्वारा दोहरे अनुबंधों की प्रक्रिया अपनाने, एकल एन.आई.टी. (निविदा आमंत्रण सूचना) के विरुद्ध अनुबंधों को आपूर्ति एवं निर्माण कार्यों में विभाजित करने और मार्गस्थ बिक्री पर ठेकादाता को वस्तुओं की आपूर्ति की प्रक्रिया अपनाने के द्वारा कर के अपवंचन से अवगत कराया गया। यह आश्वस्त किया गया कि मामले को देखा जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये सरकार छूटों एवं रियायतों की अनुमति देने और क.नि.प्रा. द्वारा उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिये निर्देशों को निर्गत करने पर विचार कर सकती है।

³⁵ जमशेदपुर, रामगढ़, राँची पूर्वी और राँची दक्षिणी।

³⁶ क.नि.प्रा. द्वारा पारित आदेश, इ 1/इ 11 के उपयोग की विवरणी, प्रपत्र सी, जेवैट-409 इत्यादि।

2.3.20.5 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

व्यवसायियों ने प्रसंस्करण में इस्तेमाल हेतु वस्तुओं, जो बेची नहीं गयीं बल्कि मालों के तैयार मालों अग्रेतर प्रसंस्करण हेतु विनिर्माता को स्थानांतरित किया गया, के कर के रियायती दर पर क्रय के लिए प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं का, दुरुपयोग किया था।

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निबंधित व्यवसायी प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं के विरुद्ध कर के रियायती दर पर राज्य के बाहर से सामग्री खरीद सकता है यदि ऐसी सामग्रियाँ के.बि.क. अधिनियम के अधीन निबंधन प्रमाणपत्र (नि.प्र.) द्वारा अच्छादित न हो या राज्य के बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदी गयी सामग्री नि.प्र. में अनुमत उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य हेतु उपयोग में लाया जाता है, व्यवसायी के.बि.क. अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अभियोजन का उत्तरदायी होगा। तथापि यदि क.नि.प्रा. उचित समझता हो, तो अभियोजन के बदले में के.बि.क. अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर भुगतये कर के डेढ़ गुने तक अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है। अग्रेतर, बेनटोक रबर प्रा.लि. बनाम केरल राज्य (1997) 106 एस टी सी 591 के मामले में न्यायिक निर्णय है कि क्रेता को जॉब वर्क से प्राप्त सामग्रियों की बिक्री अवश्य करनी चाहिये, यदि वह वस्तुओं को आगे उत्पादन हेतु उपयोग में लाता है, तो जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी को रियायत उपलब्ध नहीं है।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों³⁷ में 227 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जनवरी एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि चार व्यवसायियों ने वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 के बीच प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं का उपयोग करते हुए कर के रियायती दर पर ₹ 77.72 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ उत्पादन या प्रसंस्करण में उपयोग हेतु क्रय किया था जिसे या तो अन्य विनिर्माता को अग्रेतर प्रसंस्करण के लिये या तैयार माल की बिक्री के लिये विनिर्माता स्थानांतरित कर दिया गया या सामग्रियाँ उनके नि.प्र. द्वारा अच्छादित नहीं थीं। क्रेता को जॉब वर्क से प्राप्त सामग्रियों को अवश्य बेचना चाहिये यदि वह वस्तुओं को अग्रेतर उत्पादन हेतु उपयोग में लाता है, तो जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी को रियायत उपलब्ध नहीं है। क.नि.प्रा. ने सितम्बर 2010 एवं मार्च 2014 के बीच करनिर्धारण संपन्न करते समय न तो के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत नि.प्र. का तिर्यक-जाँच किया और न ही व्यवसायियों द्वारा रियायती दर पर खरीदी गयी सामग्रियों के उपयोग का सत्यापन किया। इसके फलस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'सी' का अनधिकृत उपयोग हुआ और परिणामी ₹ 4.72 करोड़ के अर्थदंड का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई

³⁷ देवघर, जमशेदपुर और तेनुघाट

की जायेगी। जमशेदपुर के कुछ मामलों पर विस्तृत चर्चा की गयी। यह आश्वस्त किया गया कि मामले को देखा जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.6 अमान्य प्रपत्र स्वीकार करने के कारण रियायतों/छूटोंकी गलत अनुमति

१94.06 करोड़ मूल्य के 232 अमान्य घोषणा प्रपत्रों 'सी' एवं 'एफ' के प्रस्तुतिकरण पर ४.13 करोड़ के क्रमशः छूट/कर के रियायती दर की गलत रूप से स्वीकृति हुई।

के.बि.क. अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों को सामग्रियों की विहित घोषणा प्रपत्रों 'एफ'/'सी' द्वारा समर्थित शाखा स्थानांतरण/अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ समय-समय पर लागू कर की रियायती दर पर छूट/आरोप्य है। 11 मई 2002 से प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया गया है। अग्रेतर, प्रपत्र 'सी' में एकल घोषणा प्रपत्र एक तिमाही की अवधि के दौरान हुए लेन-देन को आच्छादित करेगा।

हमने चार वाणिज्य कर अंचलों³⁸ (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2015 के बीच) में देखा कि नमूना जाँच किये गये 376 व्यवसायियों में से सात व्यवसायियों के मामले में क.नि.प्रा. ने 2010-11 एवं 2011-12 की अवधि हेतु करनिर्धारण संपन्न करते समय (नवम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के बीच) प्रपत्र 'सी'/'एफ'³⁹ में 4,299 घोषणा प्रपत्रों की प्रस्तुति पर १5,918.72 करोड़ मूल्य के लेन-देन पर आरोपित कर के आरोपण से रियायत/छूट की अनुमति दे दी। हालाँकि, 'सी'/'एफ' में 4,299 घोषणा प्रपत्रों में से १94.06 करोड़ मूल्य के 232 घोषणा प्रपत्र⁴⁰ अमान्य प्रपत्रों के प्रस्तुतिकरण, प्रपत्रों की प्रतिलिपि का प्रस्तुतिकरण, अन्य व्यवसायियों के नाम (नामों) से निर्गत प्रपत्रों का समर्पण, एक तिमाही से अधिक की अवधि के लेन-देन से आच्छादित प्रपत्रों का समर्पण और ऐसे प्रपत्रों जिनमें विक्रेता का नाम एवं निबंधन संख्या इत्यादि अंकित नहीं था के समर्पण इत्यादि के आधार पर अस्वीकृति योग्य थे। क.नि.प्रा. द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण/अमान्य प्रपत्रों की स्वीकृति पर कर में छूट/रियायत प्रदान करने के परिणामस्वरूप ४.13 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ (परिशिष्ट-X)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए, और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

³⁸ बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और राँची दक्षिणी।

³⁹ प्रपत्र 'सी'-4194 और प्रपत्र 'एफ'-105 में घोषणा।

⁴⁰ प्रपत्र 'सी'-226 और प्रपत्र 'एफ'- 6 में घोषणा।

2.3.21 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुसरण में करनिर्धारण

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 42 (3) में यह प्रावधान है कि जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत करनिर्धारण पुनर्निर्धारण दाखिल किसी विवरणी की जाँच के संबंध में आपत्ति किया गया है, तो विहित प्राधिकारी कार्यवाही की शुरुआत के एक माह के भीतर व्यवसायियों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया करेगा।

हमने पाया कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निम्नांकित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये, जैसा कि तालिका-2.3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3.21

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	कार्यालय का नाम	कंडिकाओं की संख्या	सन्निहित राशि (रूपये लाख में)
1	वर्ष 2011-12 का 121	वा.क.उ., देवघर अंचल	20	510.61
2	वर्ष 2012-13 का 55	वा.क.उ., जमशेदपुर अंचल	29	506.76
3	वर्ष 2012-13 का 94	वा.क.उ., देवघर अंचल	15	736.85
4	वर्ष 2013-14 का 46	वा.क.उ., गिरिडीह अंचल	25	984.69
5	वर्ष 2013-14 का 68	वा.क.उ., राँची पूर्वी अंचल	14	366.77
6	वर्ष 2013-14 का 100	वा.क.उ., चाईबासा अंचल	22	912.47
कुल			125	4,018.15

हमने मामले सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.22 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रणों का प्रयोजन कानून, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के उचित अमल का तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना है। ये धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और बचाव में भी मदद करते हैं। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र एवं दक्ष सेवाओं के लिए और करों और शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना प्रणालियों के सृजन में भी मदद करते हैं। अतः यह सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व है कि एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना की स्थापना, समीक्षा हो और इसे प्रभावी रखने के लिए यह समय-समय पर अद्यतन किया जाय।

2.3.22.1 मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध का कार्य

मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मू.व.क. लेखापरीक्षा के लिए चयनित 1,744 व्यवसायियों में से 1,572 व्यवसायियों का बकाया रहते हुए मात्र 172 (9.98 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी।

झा.मू.व.क. नियमावली 2006 के नियम 33 के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 34 विभाग द्वारा चयनित व्यवसायियों की कर लेखापरीक्षा धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार उनके व्यवसाय परिसर में किये जाने की परिकल्पना करता है। हालाँकि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2006 को अस्तित्व में आया, तथापि मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध वा.क.सं.आ., वा.क.उ., वा.क.स.आ., वा.क.प. और सहायक कर्मियों के पृथक कार्यबल के साथ तीन मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रमंडल⁴¹ सहित सी.टी.डी. मुख्यालय में अगस्त 2009 में गठित किया गया।

सभी तीन वैट लेखापरीक्षा प्रमंडलों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान वर्षवार स्वीकृत और कार्यरत बल जैसा कि तालिका 2.3.22.1(i) में दर्शाया गया है था।

तालिका - 2.3.22.1(i)

वर्ष	वा.क.सं. आ.	वा.क.उ.	वा.क.स. आ.	वा.क. प.	विपत्र लिपिक	लिपिक	कंप्यूटर ऑपरेटर	चालक	गुप डी स्टाफ
स्वीकृत बल	3	6	12	24	3	6	9	9	12
मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रमंडलों में कार्यरत बल									
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	3	4	7	2	0	2	2	1	0
2012-13	3	4	4	6	0	3	3	2	4
2013-14	3	4	3	8	0	3	3	3	5

मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध की हमारे जाँच ने निम्नलिखित उद्घटित किया:

- मुख्यालय एवं प्रमंडलीय इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में किये जाने वाले कर लेखापरीक्षा हेतु 84,793 व्यवसायियों में से (2010-11 : 39,061 एवं 2011-12 : 45,732) 10 करोड़ एवं अधिक सकल आवर्त (स.आ.) वाले 1,744 व्यवसायियों का चयन आयुक्त द्वारा किया गया। उपरोक्त चयनित व्यवसायियों के विरुद्ध संचालित कर लेखापरीक्षा का विवरण जैसा कि तालिका 2.3.22.1(ii) में है -

⁴¹ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

तालिका- 2.3.22.1(ii)

मू.व.क. लेखापरीक्षा इकाई	चयनित व्यवसायियों की संख्या		लेखापरीक्षित व्यवसायियों की संख्या		लेखापरीक्षित नहीं किये गये व्यवसायियों की संख्या		कुल लंबित मामले
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	
मुख्यालय	102	53	शून्य	शून्य	102	53	155
धनबाद	186	240	48	शून्य	138	240	378
जमशेदपुर	199	453	95	2	104	451	555
राँची	351	160	27	शून्य	324	160	484
कुल	838	906	170	2	668	904	1,572

इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-12 में चयनित 1,744 व्यवसायियों में से मात्र 172 (9.86 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम था और 1,572 व्यवसायियों के लेखापरीक्षा का भारी बकाया था।

- उपरोक्त बकायों के कारण आयुक्त ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कर लेखापरीक्षा के लिए व्यवसायियों का आगे चयन न करने का निर्णय लिया।
- मानव बल की कमी, जैसा कि उपरोक्त में दिखाया गया है, के कारण कर लेखापरीक्षा के बकाये का संचयन हुआ।
- यह भी पाया गया कि अब तक संचालित 172 कर लेखापरीक्षाओं में से, 115 कर लेखापरीक्षा व्यवसायियों के व्यापार परिसर में, जैसा कि झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 34 में परिकल्पित है, संचालित नहीं किया गया था।
- विभाग ने मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध के लिए लेखापरीक्षा हस्तक तैयार नहीं किया है। हस्तक के अभाव में विभाग विभिन्न गतिविधियों के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से वंचित रहा।
- यह भी पाया गया कि 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान मू.व.क. लेखापरीक्षा के सभी तीन प्रमंडलों के लिए कार्यालय स्वचालन उपकरण और फर्नीचर की खरीद हेतु ₹ 13.48 लाख व्यय किया गया जिनमें से अधिकांश अप्रयुक्त पड़े हुए हैं।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत हुए और यह आश्वासन दिया कि मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि उचित मानव बल और अनुश्रवण के साथ कर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की एक उचित हस्तक की रचना करके सरकार मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध को मजबूत कर सकती है।

2.3.22.2 अन्वेषण ब्यूरो (अ. ब्यू.) का कार्यचालन

अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) ने कर के अपवंचन का पता लगाने हेतु इसके तिर्यक जाँच के लिये विभिन्न संगठनों/केंद्रीय/राज्य उपक्रमों के कार्यालयों, रेलवे गोदामों और वाणिज्यिक बैंकों से क्रय/आयातों से संबंधित आँकड़ों के संग्रहण के अपने कार्यों को निष्पादित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 अन्वेषण ब्यूरो के वा.क.आ. के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने का प्रावधान करता है और वह ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे सौंपा जाय। हमने पाया कि अगस्त 2009 तक कोई काम सौंपे नहीं जाने के कारण अ.ब्यू. अक्रियाशील रहा। तथापि, वा.क.आ. द्वारा अगस्त 2009 में निर्गत एक आदेश के द्वारा, वा.क.सं.आ. (प्रशासन) के अधीन प्रमंडलीय अ.ब्यू.को कार्य सौंपा गया कि :

- वैसे व्यवसायी जो अंतर्राज्यीय भंडार स्थानांतरण करते हैं, के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अनुसार व्यापार के अतिरिक्त स्थान और निबंधन प्रमाण पत्र में उनकी प्रविष्टि का सत्यापन करना, बड़े विनिर्माताओं/व्यवसायियों का निरीक्षण, बड़े विनिर्माताओं, राज्य/केंद्रीय उपक्रमों, रेलवे गोदामों, ट्रांसपोर्टों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किये गये खरीद/आयातों से संबंधित आँकड़ों का संग्रह। सीमावर्ती क्षेत्रों में योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से ट्रकों का निरीक्षण, अंतर्राज्यीय खरीदों के क्रम में विशेष सामग्रियों पर निर्धारित कर के दर का सत्यापन, भंडार अंतरण/आयातों के माध्यम से आगमन और घोषणा प्रपत्रों की शुद्धता का तिर्यक सत्यापन।

हमने तीन प्रमंडलीय अ. ब्यू.⁴² के कार्य संपादन की जाँच की और पाया कि अ.ब्यू., इन वर्षों में मुख्य रूप से विनिर्माताओं/व्यवसायियों और परिवहन वाहनों का निरीक्षण कर रहा था लेकिन न तो बड़े उत्पादकों, केन्द्रीय/राज्य उपक्रमों, रेलवे गोदामों, ट्रांसपोर्टों, वाणिज्यिक बैंकों आदि से उसके परवर्ती सत्यापन हेतु किए गये कोई आँकड़ा संग्रहित पाया गया और न ही घोषणा प्रपत्रों का तिर्यक सत्यापन किया गया।

- प्रमंडलीय अ.ब्यू. को वा.क.आ. को मासिक प्रतिवेदन/विवरणियाँ प्रस्तुत करनी थीं पर कोई मासिक प्रतिवेदन/विवरणियाँ नियमित रूप से जमा नहीं पाया गया और शीर्ष स्तर पर अ.ब्यू. के कार्यचालन का कोई नियमित अनुश्रवण नहीं था।
- प्रमंडलीय अ.ब्यू. में सहायक कर्मियों की अत्यंत कमी थी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार, लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और कहा कि उनका व्यापार खुफिया प्रणाली चौकसी उत्पत्ति में तेजी से प्रगति कर रहा था।

सरकार विभिन्न लेन-देनों के आँकड़े/सूचनाओं के नियमित संग्रहण हेतु अ.ब्यू. के कार्यकलाप को मजबूत करने और कर अपवंचन का पता लगाने हेतु नियमित आधार

⁴² धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

पर लेनदेनों के तिर्यक जाँच के लिये राज्य/केंद्र सरकार के विभागों व उपक्रमों और अन्य के डाटाबेस के सृजन पर पर विचार कर सकती है।

2.3.22.3 कंप्यूटरीकरण

वाणिज्य कर विभाग (सीटीडी) का कंप्यूटरीकरण पूर्ण नहीं था। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 'विक्टरी' के विभिन्न मॉड्यूल्स अभी तक विकसित नहीं किये गये थे।

झारखण्ड सरकार का वाणिज्य कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्रमशः ₹ 24.51 करोड़ (65 प्रतिशत) और ₹ 13.18 (35 प्रतिशत) करोड़ के अंश सहित ₹ 37.69 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ नवंबर, 2010 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। काम वर्ष 2012-13 के अंत तक पूरा किया जाना था। विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये 'विक्टरी' (वैट इन्फोर्मेशन कंप्यूटराईजेशन टू ऑप्टिमाइज़ रेवेन्यू यील्ड्स) नाम के वाणिज्य कर विभाग के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की स्थापना का कार्य निष्पादन एजेंसी मेसर्स राइट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बीच में छोड़ दिया गया और विभाग ने अपेक्षित सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडी (एस.आर.एस.) और अभिकल्पना के बिना ही नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर (एन.आई.सी.), झारखण्ड की मदद से स्वचालन प्रारंभ किया। जनवरी 2013 में, मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मार्च 2014 में पूरा किये जाने की नियत तिथि के साथ ₹ 35.18 करोड़ की लागत से विभाग के कंप्यूटरीकरण के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया। हालाँकि, काम अभी भी अपूर्ण है और झारखण्ड सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय झारखण्ड सूचना और प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी (जैप-आई.टी.) द्वारा उक्त कार्य पर आज तक ₹ 16.54 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

व्यवसायी सूचना प्रणाली, विवरणी प्रसंस्करण प्रणाली, भुगतान प्रबंधन प्रणाली और और प्रपत्र नियंत्रण प्रणाली जैसे मॉड्यूल्स पूरी तरह क्रियाशील नहीं बनाये गये थे। अग्रेतर, औद्योगिक छूट प्रणाली, व्यवसायी करनिर्धारण प्रणाली और विभाग के प्रशासनिक कार्य से संबंधित व्यक्तिगत सूचना प्रणाली जैसे मॉड्यूल को विकसित करने पर विचार नहीं किया गया। विभाग ने मैनुअल प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हटाने और कंप्यूटरीकृत प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रलेखित योजना प्रस्तुत नहीं किया। विकसित प्रणाली शुरुआत से मैनुअल प्रणाली के समानांतर चल रहा था। इसलिये मैनुअल पंजियो की समाप्ति और विभाग के कार्यचालन प्रणाली की दक्षता में सुधार के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

हमने मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.22.4 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए हमने (मई और जून 2015 के बीच) वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान अंचल में अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मियों के स्वीकृत बल और कार्यरत बल का अंचल-वार स्थिति माँगा। प्रस्तुत आँकड़ों से हमने मार्च 2015 को निम्न स्वीकृत बल और कार्यरत बल पाया जो तालिका - 2.3.22.4 में है।

तालिका - 2.3.22.4							
क्र. सं.	अंचल का नाम	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		कमी	
		अधिकारी	अन्य	अधिकारी	अन्य	अधिकारी	अन्य
1	आदित्यपुर	9	39	7	17	2	22
2	बोकारो	10	49	7	15	3	34
3	चाईबासा	6	22	6	11	0	11
4	देवघर	8	26	5	13	3	13
5	धनबाद	7	39	7	14	0	25
6	गिरिडीह	6	27	4	13	2	14
7	जमशेदपुर	11	44	9	17	2	27
8	जमशेदपुर नागरीय	10	36	6	14	4	22
9	रामगढ़	8	31	7	13	1	18
10	राँची पूर्वी	8	30	5	11	3	19
11	राँची दक्षिण	11	35	4	10	7	25
12	राँची पश्चिमी	11	34	10	18	1	16
13	तेनुघाट	6	29	4	7	2	22
कुल		111	441	81	173	30	268

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गये अंचलों में अधिकारियों (27 प्रतिशत) एवं सहायक कर्मियों (61 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी थी जो अधिनियम के प्रशासन को प्रभावित कर सकता है। हमने नमूना जाँच किये गये 12 अंचलों में पाया कि 2013-14 के अंत में करनिर्धारणों के 22,614 मामले लंबित थे जिससे इंगित हुआ कि मानवबल की कमी ने विभाग के कार्यकलाप को प्रभावित किया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिये स्वीकृत बल के अनुसार मानवबल की तैनाती पर विचार कर सकती है।

2.3.23 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नांकित पाया:

- अधिनियम में स्व-करनिर्धारण के प्रावधान के विद्यमान होने के बावजूद विभाग पूर्ववर्ती बिक्री कर काल की तरह ही व्यवसायियों के करनिर्धारण का अनुसरण कर रही है अर्थात् जहाँ करनिर्धारण के सभी मामले क.नि.प्रा. द्वारा निर्धारित किये गये थे और व्यवसायियों को स्व-करनिर्धारण की प्रक्रिया के

लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया जिसका कार्मिकों की कमी और निबंधित व्यवसायियों के निरंतर वृद्धि के साथ, परिणाम करनिर्धारण में भारी बकाये के संचयन में हुआ।

- निबंधन हेतु उत्तरदायी व्यवसायियों की पहचान हेतु विभाग में सर्वेक्षण का तंत्र अपर्याप्त था। विभाग ने अनिबंधित व्यवसायियों के पता लगाने के लिए करनिर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरणी का उपयोग नहीं किया था;
- क्रय/विक्रय आवर्तों का छिपाव, कर का अनारोपण/अल्पारोपण, आई.टी.सी. की अनियमित स्वीकृति, ब्याज एवं अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण, और अंतर्राज्यीय एवं राज्यांतर्गत स्टॉक अंतरण, अंतर्राज्यीय बिक्री एवं मार्गस्थ बिक्री में छूट/रियायतों की स्वीकृति में अनियमिताओं से राजस्व का रिसाव हुआ;
- आंतरिक नियंत्रण संरचना मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के संदर्भ में आंतरिक लेखापरीक्षा अपूर्ण था और अ.ब्यू. को सौंपी गयी तिर्यक-जाँच के निष्पादन नहीं होने से राजस्व का रिसाव हुआ; और
- विभाग का कंप्यूटरीकरण पूर्ण नहीं था। सॉफ्टवेयर में विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे विवरणी प्रसंस्करण प्रणाली, भुगतान प्रबंधन प्रणाली, प्रपत्र नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जाना अब तक बाकी था।

2.4 तिर्यक जाँच के परिणाम

संव्यवहारों के तिर्यक जाँच के उद्देश्य के लिये आँकड़ें/सूचनाओं के आदान-प्रदान में वा.क.वि. और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय के अभाव के कारण 2006-07 एवं 2012-13 के मध्य की अवधि में ₹ 13.82 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण हुआ जिसकी चर्चा कंडिका 2.4.1 और 2.4.2 में की गई है।

2.4.1 व्यवसायियों का निबंधन नहीं होना

स्टोन चिप्स के व्यवसायी और संवेदकों के निबंधन के लिये निर्धारित अवसीमा क्रमशः ₹ 50,000 और ₹ 25,000 से अधिक विक्रय आवर्त होने के बावजूद विभाग में निबंधित नहीं पाये गये।

हमने दिसंबर 2013 से मार्च 2015 तक जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज के 313 पट्टेदारों में से 44 खनन पट्टेदारों के स्टोन चिप्स की बिक्री तथा संविदा कार्य के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग⁴³ से संवेदकों को किए गये भुगतान का आँकड़ा प्राप्त किया और उसका तीन वाणिज्य कर अंचलों⁴⁴ के अभिलेखों से तिर्यक-जाँच किया। हमारे तिर्यक-जाँच से पता चला कि 2008-09 से 2012-13 के बीच 16 खनन पट्टेदारों ने ₹ 6.77 करोड़ मूल्य के 2.85 लाख घन मीटर स्टोन चिप्स विक्रय/प्रेषित किया था और तीन संवेदकों ने ₹ 3.32 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था।

उक्त आँकड़े विभाग के डेटाबेस के साथ-साथ वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों से सत्यापित किये गये और पाया गया कि वे अंचलों में निबंधित नहीं थे। चूँकि स्टोन चिप्स के व्यवसायियों का विक्रय आवर्त ₹ 50,000 से अधिक और संवेदकों का ₹ 25,000 से अधिक था इसलिए वे झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 8 (5) के प्रावधानों के तहत निबंधित होने तथा कर के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार तिर्यक-जाँच के लिये, आँकड़े/सूचनाओं के आदान-प्रदान में वा.क.वि. और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 1.02 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 38 के तहत निर्धारित कर की राशि के बराबर अर्थदंड ₹ 1.02 करोड़ भी आरोप्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 2.04 करोड़ कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के मध्य विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेखापरीक्षा अवलोकन इंगित करने के लिए आयुक्त ने अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि

⁴³ मैथन आर.बी.टी.पी.पी. स्थित बी.एच.ई.एल., भवन निर्माण प्रमण्डल-1, राँची और पथ निर्माण प्रमण्डल, साहिबगंज।

⁴⁴ चिरकुंडा, राँची विशेष और साहिबगंज।

व्यवसायियों की पहचान करने के लिए अन्य विभागों के साथ-साथ कोषागार से आँकड़े का आदान-प्रदान किया जा रहा है (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

एक सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.10.1 में बताया गया था, विभाग ने हमारे आपत्ति को स्वीकार किया। तथापि, इस प्रकार की गलतियाँ/अनियमितताएँ निरंतर जारी हैं जो राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने की पहल का अभाव और राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती हैं।

2.4.2 अन्य विभागों के आँकड़ों से तिर्यक जाँच के दौरान विक्रय आवर्त के छिपाव का पता लगना

संवेदको द्वारा दाखिल विवरणियों का उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए लोक निर्माण प्रमण्डलों और राज्य के कंपनियों के द्वारा भुगतान से संबंधित आँकड़ों के तिर्यक-जाँच ने आवर्त का छिपाव एवं कर का परिणामी अवनिर्धारण इंगित किया।

हमने सात लोक निर्माण प्रमण्डलों और तीन कंपनियों⁴⁵ से संविदा कार्यों के विरुद्ध कार्य संवेदकों के भुगतान से संबंधित आँकड़ा प्राप्त किया तथा छः अंचलों⁴⁶ के अभिलेखों से इनकी तिर्यक-जाँच की और पाया कि 16 संवेदको ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में ₹ 35.17 करोड़ के आवर्त की अपनी विवरणी दाखिल की थी। करनिर्धारण जून 2009 से मार्च 2014 के बीच उनके द्वारा दाखिल विवरणियों के आधार पर संपन्न किया गया। तथापि, लोक निर्माण प्रमण्डलों से संग्रहित आँकड़ों के तिर्यक-जाँच से उद्घटित हुआ कि संवेदकों ने वास्तव में ₹ 67.20 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था, जिसमें से ₹ 66.58 करोड़ करयोग्य था। इस प्रकार, संवेदकों ने ₹ 31.41 करोड़ के विक्रय आवर्त को छुपाया था। इस प्रकार, तिर्यक-जाँच के उद्देश्य से अंतर्विभागीय आँकड़े/सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तंत्र का अभाव होने के कारण, झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40 (1) के साथ पठित 37(6) के प्रावधानों के तहत ₹ 7.85 करोड़ के अनिवार्य अर्थदण्ड सहित ₹ 11.78 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ (परिशिष्ट-XI)।

हमने (जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। वाणिज्यकर उपायुक्त, चिरकुंडा ने (अगस्त 2015) सूचित किया कि एक मामले में ₹ 24.32 लाख का मांग पत्र निर्गत किया गया है। तदंतर, बहिर्गमन सम्मेलन में

⁴⁵ भवन निर्माण प्रमण्डल, राँची, पथ निर्माण प्रमण्डल, धनबाद, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो और कोडरमा, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, धनबाद, जि.न.नि. धनबाद, पथ निर्माण प्रमण्डल, साहिबगंज, भेल, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स निर्माण लिमिटेड और मैथन पावर लिमिटेड।

⁴⁶ चिरकुंडा, धनबाद नागरीय, हजारीबाग, कतरास, राँची विशेष और साहिबगंज।

विभाग/सरकार ने तथ्यों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

एक सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.10.2 में बताया गया था। तथापि, इस प्रकार की गलतियाँ/अनियमितताएँ निरंतर जारी हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

2.5 वास्तविक आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ

उचित करनिर्धारण एवं देय कर के आरोपण के लिये आवर्त का वास्तविक निर्धारण आवश्यक है। इस कंडिका में विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना तथा आवर्त का गलत निर्धारण के कारण अर्थदण्ड सहित ₹ 144.96 करोड़ के कर का अल्पारोपण/अनारोपण सम्मिलित है जैसा कि कंडिका 2.5.1 और 2.5.2 में उल्लिखित है।

2.5.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों ने करनिर्धारण संपन्न करते समय पृथक अभिलेखों में उपलब्ध अतिरिक्त सूचनाओं से विवरणियों की जाँच नहीं करने के फलस्वरूप वास्तविक आवर्त का छिपाव हुआ तथा परिणामी अर्थदण्ड और कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों⁴⁷ में निबंधित 24,558 व्यवसायियों में से 555 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (फरवरी 2012 एवं मार्च 2015 के बीच) और देखा कि 15 व्यवसायियों ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों और प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में निर्धारित वैट ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ₹ 3,878.52 करोड़ का क्रय/विक्रय आवर्त दर्शाया था जिसके आधार पर (नवम्बर 2010 एवं अक्टूबर 2014 के बीच) करनिर्धारण संपन्न किया गया। तथापि, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र 'एफ' और 'सी' की अधियाचना और उपयोग, वार्षिक विवरणी, ब्यापार लेखा, अंकेक्षित वार्षिक लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा अनुज्ञा प्रपत्र की विस्तृत विवरणी की हमारी जाँच से यह पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 4,674.80 करोड़ मूल्य के वस्तुओं⁴⁸ का क्रय/प्राप्ति/विक्रय किया था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 796.28 करोड़ के सामग्रियों के क्रय/विक्रय को छिपाया था। यह दर्शाता है कि निर्धारण प्राधिकारियों ने संबंधित व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचनाओं से विवरणियों का तिर्यक सत्यापन नहीं किया।

⁴⁷ धनबाद नागरीय, हजारीबाग, झरिया, कतरास, पाकुड़, पलामू एवं सिंहभूम।

⁴⁸ बीयर/आइ.एम.एफ.एल, कोल, सान्द्र तांबा, सिमेंट, फुटवेयर, मशीनरी पार्ट्स, ऑक्सीजन एवं औद्योगिक गैस, स्टोन चिप्स और बोल्डर, स्पीज आयरन और टायर।

चूँकि व्यवसायियों ने आवर्त के ब्यौरे को जान बूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहे जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम था, वे झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(1) के साथ पठित अधिनियम 37(6) के प्रावधानों के अंतर्गत, छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुनी राशि के समतुल्य राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी था। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड ` 93.71 करोड़ सहित ` 140.57 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-XII)।

हमने अधिकतम वित्तीय प्रभाव वाले पाँच वाणिज्यकर अंचलों के पाँच व्यवसायियों से संबंधित विनिर्दिष्ट मामलों को तालिका- 2.5.1 में दर्शाया है।

तालिका - 2.5.1

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थदण्ड
1	हजारीबाग एक	2009-10 अप्रैल 2012	व्यवसायी के अंकेक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार वास्तविक आवर्त ` 2,617.53 करोड़ था लेकिन ` 2,097.32 करोड़ लेखापित किया जिसके आधार पर करारोपण संपन्न हुआ था।	520.21 4	20.81 41.62
2	सिंहभूम एक	2008-09, 2010-11 जनवरी 2010, मार्च 2014	व्यवसायी ने जान बूझकर सीमेंट के उत्पादन की लागत कम करने के लिए ` 158.85 करोड़ उत्पाद शुल्क को घटाया था जो झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 2 (xlviii) के प्रावधानों के अनुसार क्रय आवर्त का एक भाग था, इस तरह विवरणित आवर्त वास्तविक रकम से कम था, जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ।	158.85 12.5	19.86 39.72
3	झरिया एक	2010-11 अगस्त 2013	प्रपत्र झा.मू.व.क.-400 में टी.डी.एस. विवरणी तथा संलग्न सामग्रियों की आपूर्ति की विवरणी के अनुसार ` 16.75 करोड़ निर्धारित किया गया, जबकि व्यवसायी ने व्यापार खाते में केवल ` 5.47 करोड़ की बिक्री दिखाया था, जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ।	11.28 12.5	1.41 2.82
4	पाकुड़ एक	2009-10 फरवरी 2011	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत पत्थर के उत्पादन विवरणी के अनुसार, वास्तविक उत्पादन 1,62,87,937 सी.एफ.टी. था जिसका संगणित मूल्य ` 10.20 करोड़ था लेकिन व्यवसायी ने व्यापार खाते में ` 7.50 करोड़ मूल्य के 1,19,74,207 सी.एफ.टी. लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ।	2.70 12.5	0.34 0.68

तालिका - 2.5.1

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थदण्ड
5	धनबाद नागरीय एक	2010-11 जून 2013	व्यापार खाते और खरीद विवरणी के अनुसार विक्रय आवर्त ` 23.16 करोड़ संगणित की गई जबकि यह ` 20.69 करोड़ दिखाया गया।	2.47 12.5	0.31 0.62

हमारे द्वारा मामले (फरवरी 2012 और मार्च 2015 के बीच) को बताये जाने पर, एक मामले में, वाणिज्यकर उपायुक्त, सिंहभूम ने अक्टूबर 2014 में संशोधित आदेश पारित किया तथा ` 28.59 करोड़ के लिये अतिरिक्त माँग पत्र जारी किया, जबकि अन्य मामलों में क.नि.प्रा. ने कहा (नवम्बर 2013 और मार्च 2015 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

हमने मई 2012 और अप्रैल 2015 के बीच विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने सहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिये गये हैं (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.4.1 में बताया गया था। सरकार/विभाग ने 31 मामलों में हमारे अवलोकनों को स्वीकार किया और दो मामलों में ` 74.30 लाख का माँग पत्र निर्गत किया (दिसंबर 2013)। तथापि, इस प्रकार की गलतियाँ/अनियमितताएँ निरंतर जारी हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

2.5.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर देय आवर्त का गलत निर्धारण

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के अंतर्गत श्रम एवं सदृश प्रभार, स्वामिस्व और टी.डी.एस. पर गलत छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप ` 35.11 करोड़ कर देय आवर्त का कम निर्धारण हुआ तथा ` 4.39 करोड़ कर का परिणामी अवनियमितता हुआ।

2.5.2.1 हमने चार वाणिज्य कर अंचलों⁴⁹ में निबंधित 13,621 व्यवसायियों में से 323 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2014 और दिसंबर 2014 के बीच) की और देखा कि 11 संवेदकों का 2008-09 से 2010-11 के दौरान श्रम सदृश प्रभार, स्वामिस्व और टी.डी.एस. पर गलत छूट की अनुमति देने के

⁴⁹ धनबाद नागरीय, हजारीबाग, कतरास, एवं कोडरमा।

कारण करयोग्य आवर्त (टी.टी.ओ.) ` 120.15 करोड़ के बदले ` 88.07 करोड़ का आवर्त निर्धारित किया गया।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 का नियम 22, कार्य संवेदकों के करयोग्य आवर्त के निर्धारण के लिए श्रम प्रभार और अन्य गैर करयोग्य व्यय को घटाने की अनुमति प्रदान करता है। संवेदकों द्वारा प्रस्तुत लेखे से जहाँ ऐसे प्रभारों की राशि निश्चित करने योग्य नहीं हो, तो उपरोक्त नियम आगे सिविल कार्यों के मामले में कुल प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के 30 प्रतिशत की दर से उक्त प्रभारों की गणना का प्रावधान करता है।

क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (अगस्त 2009 और फरवरी 2014 के बीच) उपरोक्त नियम के अनुसार कर देय आवर्त का निर्धारण नहीं किया, परिणामस्वरूप ` 32.08 करोड़ कर देय आवर्त का अल्प निर्धारण हुआ, फलस्वरूप ` 4.01 करोड़ का कर नहीं लगाये जाने के कारण अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-XIII)।

2.5.2.2 हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 4,167 व्यवसायियों में से 130 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2013) और पाया कि एक संवेदक के मामले में 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिये वास्तविक कर देय आवर्त ` 14.16 करोड़ के बजाय ` 11.13 करोड़ निर्धारित किया गया। स्वामिस्व, सामग्रियों की आपूर्ति से संबंधित लाभ और स्रोत पर कर की कटौती पर कर से छूट प्रदान करने के कारण कर देय आवर्त का गलत निर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (1) (डी) के प्रावधानों के तहत दावा मान्य नहीं था। करनिर्धारण प्राधिकारी ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2011 और मार्च 2013 के बीच) अभिलेख में उल्लिखित आँकड़े पर विचार नहीं किया, परिणामस्वरूप ` 3.03 करोड़ कर देय आवर्त का गलत निर्धारण हुआ तथा ` 37.90 लाख के कर का परिणामी अवनिर्धारण हुआ।

हमने (जुलाई 2014 और मई 2015 के बीच) विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और कहा कि दाखिल विवरणियों के आँकड़े और सकल आवर्त के निर्धारण के बीच भिन्नता का ध्यान रखने के लिए प्रणाली को अद्यतन किया जा रहा है। अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया गया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.6 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य के बाहर/भीतर भंडार हस्तांतरण, कर की रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, सामग्रियों के स्वयं उपभोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की अस्वीकृति और करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स.आ. में अभिवृद्धि पर ₹ 34.30 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

2.6.1 हमने चार वाणिज्यकर अंचलों⁵⁰ में निबंधित 13,969 व्यवसायियों में से 372 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2014 और जनवरी 2015) और देखा कि छः व्यवसायियों ने 2010-11 के दौरान, दाखिल आवधिक विवरणियों/झा.मू.व.क.-409 के माध्यम से राज्य के बाहर/भीतर भंडार हस्तांतरण, कर के रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, सामग्रियों/मालों के स्वयं उपभोग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से ₹ 2,305.20 करोड़ छूट का दावा किया था।

क.नि.प्रा. ने (नवंबर 2013 और मार्च 2014 के बीच) इन व्यवसायियों के करनिर्धारण संपन्न करते समय, वैसे छूट और अन्य रियायतें जो अपेक्षित सबूत द्वारा समर्थित नहीं थी, की अस्वीकृति सहित आवश्यक समायोजन करने के बाद, छूट की अनुमति दी और ₹ 1,734.51 करोड़ के आवर्त पर रियायती दर पर कर आरोपित किया। ₹ 570.70 करोड़ के शेष आवर्त पर निर्धारित दरों पर ₹ 16.04 करोड़ का कर आरोपित किया गया। तथापि, अधिनियम की धारा 35 (6) के साथ पठित धारा 30 (1) के अंतर्गत आरोपित कर पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ₹ 5.23 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया जो तालिका 2.6.1 में उल्लिखित है।

तालिका 2.6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
1	सिंहभूम एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने ₹ 1.71 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ उठाया था और सामग्री की स्वयं की खपत ₹ 1.07 करोड़ पर कर में छूट का दावा किया। तथापि, क.नि.प्रा. ने ₹ 1.57 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति दी और सामग्री की स्वयं की खपत पर कर में छूट का दावा अस्वीकार कर तदनुसार अतिरिक्त कर का निर्धारण किया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.28	0.10

⁵⁰ धनबाद नागरीय, हजारीबाग, कतरास एवं सिंहभूम।

तालिका 2.6.1

(करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
2	हजारीबाग एक	2010-11 नवम्बर 2013	व्यवसायी ने अंतर्राज्यीय बिक्री ₹ 292.58 करोड़ पर कर की रियायती दर का दावा किया था। हालाँकि, क.नि.प्रा. प्रस्तुत प्रपत्र 'सी' के आधार पर ₹ 286.98 करोड़ पर कर की रियायती दर की अनुमति दी और तदनुसार ₹ 11.18 लाख का अतिरिक्त कर आरोपित किया। तथापि, आरोपित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.11	0.04
3	धनबाद एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने ₹ 2.99 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का दावा किया था। तथापि, क.नि.प्रा. प्रस्तुत प्रपत्र 'सी' के आधार पर ₹ 81.37 लाख पर कर की रियायती दर की अनुमति दी और तदनुसार ₹ 22.82 लाख का अतिरिक्त कर आरोपित किया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.23	0.08
4	कतरास तीन	2010-11 दिसम्बर 2013	व्यवसायी ने ₹ 1,876.28 करोड़ के अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर तथा भंडार हस्तांतरण पर कर से छूट का दावा किया था, लेकिन ₹ 1,365.70 करोड़ के लिए फार्म 'सी' और 'एफ' प्रस्तुत किया। पुनः व्यवसायी ने ₹ 3.51 करोड़ आई.टी.सी. का लाभ उठाया परन्तु झा.मू.व.क. - 404 प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए तदनुसार अतिरिक्त कर ₹ 15.42 करोड़ आरोपित किया गया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	15.42	5.01
कुल				16.04	5.23

हमारे द्वारा मामलों को अगस्त 2014 और जनवरी 2015 के बीच बताये जाने पर हजारीबाग और सिंहभूम अंचलों के करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कहा (जनवरी 2015) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी, जबकि धनबाद नागरीय और कतरास अंचलों के करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कहा कि इन मामलों में ब्याज आरोप्य नहीं था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि व्यवसायियों ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज/घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया था और तदनुसार देय कर का भुगतान नहीं किया; इसलिए वे ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

हमने दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और कहा कि इस मामले को झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 35 और 30 के प्रावधानों के संदर्भ में देखा जायेगा। मामले संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने के लिये अग्रसारित किए गये हैं (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.13.2 में बताया गया था, सरकार/विभाग ने दो मामलों में ₹ 1.12 करोड़ के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि शेष मामलों में विषय सुनवाई के अन्तर्गत है।

2.6.2 हमने हजारीबाग वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 5,077 व्यवसायियों में से 100 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसंबर 2014) की और देखा कि एक व्यवसायी ने 2010-11 की अवधि के लिए सकल आवर्त ₹ 2,515.62 करोड़ का विवरणी दाखिल किया था। करनिर्धारण प्राधिकारी ने अक्टूबर 2013 में करनिर्धारण संपन्न करते समय, क्रय/विक्रय आवर्त को नहीं दर्शाये जाने के कारण सकल आवर्त में ₹ 1,211.22 करोड़ की अतिरिक्त अभिवृद्धि करते हुये ₹ 3,726.84 करोड़ का सकल आवर्त निर्धारित किया और ₹ 48.45 करोड़ अतिरिक्त कर का आरोपण किया। तथापि, हमारी जाँच में पता चला कि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित अतिरिक्त कर पर ₹ 29.07 करोड़⁵¹ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार, क.नि.प्रा. द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 29.07 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को दिसंबर 2014 में बताये जाने पर, क.नि.प्रा. ने जनवरी 2015 में कहा कि व्यवसायी ने प्रपत्र 'सी' के आधार पर पूंजीगत सामान खरीदा था। उसकी बिक्री और उपभोक्ता से कर के संग्रह के साथ इसका कोई संबंध नहीं था। जबाव अनुकूल नहीं था, क्योंकि क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं का व्यापार लेखाओं से तुलना के द्वारा राज्य के बाहर से खरीद के साथ कोयले की बिक्री में विसंगतियों का पता लगाया था और तदनुसार आवर्त में अतिरिक्त अभिवृद्धि करते हुए अतिरिक्त कर आरोपित किया था। व्यवसायी के अपीलीय न्यायालय में जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी उपरोक्त आधार पर अतिरिक्त कर के आरोपण की पुष्टि की गई। तथापि, ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने अप्रैल 2015 में विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया

⁵¹ दो प्रतिशत की दर से ₹ 48.45 करोड़ पर 30 माह के लिए संगणित।

कि सुधारात्मक कार्रवाई किया जायगा (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.13.1 में बताया गया था, सरकार/विभाग ने दो मामलों में ₹ 45.26 लाख के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि चार मामलों में विषय सुनवाई के अन्तर्गत था।

2.7 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अधीन जारी नियमों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत करारोपण से छूट/रियायत का दावा करने हेतु विभिन्न घोषणा प्रपत्र निर्धारित हैं। तदंतर अधिनियम घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग पर दंड के आरोपण की व्यवस्था करता है।

हमने यह पाया कि करनिर्धारण प्राधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया। परिणामतः ₹ 4.63 करोड़ के दंड एवं कर का अल्पारोपण हुआ। ये मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित हैं:

2.7.1 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

2.7.1.1 अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद के लिए प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग

संवेदक सेवा देने के लिये और कार्य के पर्यवेक्षण के लिये निबंधित था। इस प्रकार वह सामान की आपूर्ति के लिये अधिकृत नहीं था। अतः प्रपत्र 'सी' पर संवेदक द्वारा वस्तुओं की खरीद और अन्य उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग यथा संविदादाता को परवर्ती बिक्री करने के कारण प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग हुआ था।

हमने चिरकुंडा वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 1970 व्यवसायियों में से 51 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (नवंबर 2013) और देखा कि क.नि.प्रा. ने 2009-10 और 2010-11 अवधि के लिए के.बि.क. का करनिर्धारण संपन्न करते समय (दिसंबर 2011 और अप्रैल 2013 के बीच) संविदादाता को मार्गस्थ बिक्री के माध्यम से ₹ 39.29 करोड़ के सामानों की आपूर्ति पर कर से छूट की अनुमति दी। हमने संवेदक और संविदादाता के बीच निष्पादित अनुबन्ध और उद्देश्य पत्र से देखा कि संवेदक को सेवा और परिवहन, स्थल कार्य, स्थापना, परीक्षण और बॉयलर टर्बाइन जेनरेटर (बी.टी.जी.) को शुरू करने के पैकेज पर पर्यवेक्षण प्रदान करना था। इस प्रकार वह अन्य प्रयोजनों जैसे संविदादाता को आपूर्ति/बिक्री के लिए प्रपत्र 'सी' के उपयोग से वस्तुओं की खरीद के लिए अधिकृत नहीं था। क.नि.प्रा. द्वारा निष्पादित अनुबन्ध और उद्देश्य पत्र का सत्यापन नहीं किये जाने के कारण संवेदक द्वारा प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग हुआ था और फलस्वरूप के.बि.क. अधिनियम

की धारा 10 ए के तहत इस तरह की बिक्री पर कर और अर्थदंड ` 3.93 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को नवंबर 2013 में हमारे द्वारा बताये जाने पर क.नि.प्रा. ने दिसंबर 2013 में कहा कि व्यवसायी न तो इस अंचल में के.बि.क. अधिनियम के तहत निबंधित था और न ही इस अंचल से प्रपत्र 'सी' प्राप्त किया था; तथापि, मामले की समीक्षा की जाएगी।

2.7.1.2 अपूर्ण उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु वस्तुओं की खरीद में प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग

व्यवसायी ने अपूर्ण उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग कर रियायती दर पर वस्तुओं का खरीद किया जो पुनः पूर्ण उत्पाद में प्रसंस्करण के लिये विनिर्माणकर्ता को स्थानांतरित किया गया था।

हमने वाणिज्यकर अंचल सिंहभूम में निबंधित 2,856 व्यवसायियों में से 86 व्यवसायियों के के.वि.क. के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (जनवरी 2015) और देखा कि वर्ष 2010-11 के दौरान घोषणा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर एक व्यवसायी ने कर के रियायती दर पर ` 5.86 करोड़ का सामान खरीदा था जो अपूर्ण उत्पाद (सांद्र तांबा) के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए था, जिसे बिक्री के लिए तैयार पूर्ण उत्पाद (तांबा) में पुनःप्रसंस्करण के लिये विनिर्माणकर्ता को स्थानांतरित किया गया।

के.बि.क. अधिनियम, की धारा 8(3) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत एक निबंधित व्यवसायी पुनर्बिक्री हेतु या बिक्री के लिये वस्तुओं के प्रसंस्करण या उत्पादन में उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु घोषणा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर रियायती दर पर राज्य के बाहर से वस्तुओं की खरीद कर सकता है बशर्ते कि उक्त वस्तुएँ उसके निबंधन प्रमाणपत्र (नि.प्र.प.) द्वारा आच्छादित हो। पुनः बेनटेक रबर प्रा.लि. बनाम केरल राज्य (1997)106 एस.टी.सी. 591 के मामले में न्यायिक निर्णय हुआ है कि क्रेता को जॉब वर्क से प्राप्त सामानों की बिक्री अवश्य करनी चाहिए, यदि वह वस्तुओं को आगे उत्पादन हेतु प्रयोग में लाता है जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी को घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर वस्तुओं की खरीद की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

इस प्रकार, जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी द्वारा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर रियायती दर पर सामानों की खरीद न्यायिक निर्णय के प्रतिकूल था। यह इंगित करता है कि क.नि.प्रा. ने घोषणा प्रपत्र 'सी' जारी करने के पूर्व व्यवसायी के निबंधन प्रमाणपत्रों का जाँच नहीं किया कि निर्धारिती द्वारा जॉब वर्क के प्रयोजन के लिए रियायती दर पर सामानों की खरीद की गई थी। क.नि.प्रा. ने नवंबर 2013 में करनिर्धारण संपन्न करते समय अधिनियम की धारा 10 ए के तहत प्रपत्र 'सी' के दुरुपयोग पर अर्थदंड, जो आरोप्य कर के डेढ़ गुना से ज्यादा न हो, अधिरोपित नहीं किया। इसके

परिणामस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'सी' का अनधिकृत उपयोग हुआ तथा अर्थदंड ` 35.17 लाख सहित कर ` 58.61 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने (जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायगी। यह आश्वस्त किया कि मामले की जाँच की जायगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.15.1 में बताया गया था, विभाग ने दो मामलों में ` 1.20 करोड़ के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि शेष मामलों में विषय सुनवाई के अन्तर्गत थे। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

2.7.2 के.बि.क. के तहत कर की रियायती दर की गलत अनुमति

मार्गस्थ बिक्री और भंडार अंतरण के ` 1.58 करोड़ पर कर भुगतान के दावे से छूट की गलत अनुमति दी गयी यद्यपि सौदे घोषणा प्रपत्र 'सी' और प्रपत्र 'एफ' से समर्थित नहीं थे।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों⁵² में निबंधित 12,577 व्यवसायियों में से 211 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों (नवंबर 2013 और मार्च 2015 के बीच) की जाँच की और पाया कि वाणिज्यकर अंचलों, पलामू और सिंहभूम के बिजली के सामान, उपकरण और रसायनों का व्यापार करने वाले दो व्यवसायियों ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए मार्गस्थ बिक्री और भंडार अंतरण के ` 1.58 करोड़ पर कर भुगतान से छूट का दावा किया था।

करनिर्धारण प्राधिकारी (क.नि.प्रा.) करनिर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2013 और फरवरी 2014 के बीच) कर के भुगतान से छूट की अनुमति दी यद्यपि सौदे क्रमशः घोषणा प्रपत्र 'सी' और 'एफ' से समर्थित नहीं थे। मार्गस्थ बिक्री पर करारोपण से छूट के दावे की अनुमति है, यदि ऐसी परावर्ती बिक्री उसी संचलन के दौरान हो जो पूर्ववर्ती बिक्री के कारण हुआ हो, बशर्ते के.बि.क. (झारखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार प्रपत्र 'सी' एवं प्रपत्र 'ई I' में घोषणाएँ प्रस्तुत की गयी हो। के.बि.क. अधिनियम की धारा 6 (ए) के प्रावधान के तहत करारोपण से छूट के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

⁵² चिरकुंडा, पलामू और सिंहभूम।

तदंतर, हमने चिरकुंडा वाणिज्यकर अंचल में देखा (नवंबर 2013) कि क.नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2010-11 की अवधि के लिए करनिर्धारण संपन्न करते समय (अप्रैल 2013) मार्गस्थ विक्रय आवर्त से उत्पादन शुल्क की राशि ₹ 31.05 लाख घटाते हुए झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (xLviii) के प्रावधान, जिसमें यह विहित है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन वस्तुओं पर आरोप्य या आरोपित शुल्क या फ़ीस या प्रभारित कोई भी राशि विक्रय मूल्य में शामिल होता है, के प्रतिकूल कर से छूट की गलत अनुमति दी गयी तथा क.नि.प्रा. द्वारा परिणामी ₹ 11.10 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमने मामला जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच विभाग को प्रतिवेदित किया। वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), धनबाद ने (अगस्त 2015) सूचित किया कि चिरकुंडा अंचल से संबंधित एक मामले में पूरी राशि ₹ 1.24 लाख की वसूली की गई है। तदंतर, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति व्यक्त की और सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.15.2 में बताया गया था, विभाग ने दो मामलों में ₹ 34.38 लाख के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि शेष मामले में विषय सुनवाई के अन्तर्गत थे। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

2.8 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के स्वीकृति में अनियमितताएँ

वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण और पूँजीगत वस्तुओं की खरीद पर आई.टी.सी. की गणना के लिए लागू नियमों का गलत प्रयोग के कारण, क.नि.प्रा. द्वारा स्वीकार्य योग्य आई.टी.सी. ₹ 4.76 करोड़ आई.टी.सी. के विरुद्ध ₹ 5.28 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों⁵³ में (नवंबर 2013 और मार्च 2015 के बीच) 15,801 व्यवसायियों में से 301 व्यवसायियों के वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि चार व्यवसायियों ने भुगतान किए गये कर से ₹ 5.28 करोड़ की आई.टी.सी. समायोजित किया जिसमें तैयार उत्पादों के भंडार अंतरण, पूँजीगत वस्तुओं की खरीद और खरीदे गए सामान की वापसी का दावा भी शामिल था।

क.नि.प्रा. ने (फरवरी 2011 और मार्च 2014 के बीच) करनिर्धारण संपन्न करते समय तैयार वस्तुओं के भंडार अंतरण, पूँजीगत वस्तुओं की खरीद और खरीदे गए

⁵³ झरिया, पलामू एवं राँची विशेष।

सामान की वापसी पर झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 26 (15) और 27 के प्रावधानों के अंतर्गत आई.टी.सी. की अस्वीकृति को ध्यान में रखे बिना पूर्ण आई.टी.सी. ₹ 5.28 करोड़ की अनुमति प्रदान की। परिणामस्वरूप ₹ 52.49 लाख अतिरिक्त आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गयी, साथ ही वास्तविक देय कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 2.04 लाख का ब्याज भी आरोप्य था जो तालिका 2.8 में उल्लिखित है:

तालिका 2.8

(लाख में)

क्रम सं.	अंचल का नाम व्यवसायी का संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	आपत्तियों की प्रकृति	अतिरिक्त स्वीकृत आई.टी.सी. आरोप्य ब्याज
1	राँची विशेष दो	2009-10 2010-11 मार्च 2013, मार्च 2014	व्यवसायी को राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 3.46 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति दी गयी थी। अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का आनुपातिक और पूँजीगत वस्तुओं पर अस्वीकार्य आई.टी.सी. को घटाने के बाद वास्तविक स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 3.41 करोड़ की गणना की गई।	4.65 1.67
2	पलामू एक	2009-10 मार्च 2012	राज्यान्तर्गत सामानों के खरीद पर प्राप्त डिस्काउंट ₹ 12.17 लाख का आई.टी.सी. ₹ 1.53 लाख को प्रतिवर्तित किए बिना व्यवसायी को ₹ 24.83 लाख की आई.टी.सी. की अनुमति दी गयी थी।	1.53 0.37
3	झरिया एक	2008-09 फरवरी 2011	व्यवसायी ने वार्षिक विवरणी में ₹ 1.11 करोड़ रुपये की आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. कर निर्धारण संपन्न करते समय गलती से ₹ 1.58 करोड़ की आई.टी.सी. की स्वीकृति दी, परिणामस्वरूप ₹ 46.31 लाख अधिक आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गई।	46.31 0.00
कुल				52.49 2.04

हमने मामले विभाग को सितंबर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। वा.क.उ. राँची विशेष अंचल ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि एक मामले में ₹ 2.28 लाख का माँग सृजित किया गया था। इसके अलावा, हमारे द्वारा बताये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.7 में सट्टा मुद्दा उठाया गया था। विभाग ने एक मामले में ₹ 75.89 लाख का माँग सृजित किया (सितंबर 2013)। शेष 10 मामलों में, क.नि.प्रा. ने बताया

(फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के बीच) कि मामले की समीक्षा की जाएगी। तथापि, कमियां/अनियमितताएं फिर भी मौजूद हैं जो कि राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है।

2.9 झा.मू.व.क. अधिनियम के तहत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

रिट्रेडेड टायर, प्लेटिनम, डीजल इंजन एवं उसके स्पेयर पार्ट्स और क.नि.प्रा. द्वारा कार्य संवेदकों के अस्वीकृत मजदूरी सदृश आवर्त पर मू.व.क. के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 1.91 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने चार वाणिज्यकर अंचलों⁵⁴ में (जुलाई 2013 और दिसंबर 2014 के बीच) निबंधित 13,169 व्यवसायियों में से 344 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और यह पाया कि रिट्रेडेड टायर, प्लेटिनम, डीजल इंजन एवं उसके स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करने वाले और कार्य संविदा का काम कर रहे 15 व्यवसायियों ने 2008-09 और 2011-12 के बीच की अवधि के लिए आरोप्य कर की दर 12.5 और मई 2011 से 14 प्रतिशत के बदले एक, चार और पाँच प्रतिशत की दर से कर स्वीकार करते हुये अपनी विवरणियाँ दाखिल की।

करनिर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 2011 और फरवरी 2014 के बीच इन व्यवसायियों के करनिर्धारण संपन्न करते समय विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आँकड़ों की जाँच झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 9 और 13 और करारोपण के लिए उसके अन्तर्गत संलग्न अनुसूची एवं झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) में वर्णित संवेदकों के अस्वीकृत मजदूरी और मजदूरी सदृश आवर्त पर कर के आरोपण के प्रावधानों के संदर्भ में विचार नहीं किया। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-XIV)।

हमने मामले को (जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) विभाग को प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को अनुपालन/कृत कार्रवाई पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.12 में बताया गया था, विभाग ने तीन मामलों में ₹ 88.69 लाख के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि एक मामले में विषय सुनवाई के अधीन था। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

⁵⁴ धनबाद नागरीय, गोड्डा, हजारीबाग, और कतरास।

2.10 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत छूट की गलत अनुमति

व्यवसायियों को बोनस, प्रोत्साहन, व्यापारिक छूट एवं रिबेट पर ` 7.80 लाख के कर से छूट की गलत अनुमति दी गई।

हमने वाणिज्यकर अंचलों, धनबाद नागरीय और राँची विशेष में निबंधित 9,792 व्यवसायियों में से 249 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अगस्त 2014 और मार्च 2015 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों ने 2010-11 के दौरान बिक्री पर ` 1.01 करोड़ का बोनस, प्रोत्साहन, व्यापारिक छूट और रिबेट दिया था जो झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 9 (5) (अप्रैल 2010 से प्रभावी) के प्रावधानों के अनुसार करयोग्य था। करनिर्धारण प्राधिकारी (फरवरी और दिसंबर 2013 के बीच) करनिर्धारण संपन्न करते समय मात्र ` 19.69 लाख पर कर आरोपित किया और ` 80.99 लाख के आवर्त पर कर के आरोपण से छूट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप गलत छूट की स्वीकृति दी गई और फलस्वरूप ` 7.80 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने मामले विभाग/सरकार को जनवरी और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.11 कर की गणना में त्रुटियाँ

करनिर्धारण प्राधिकारी ने करनिर्धारण संपन्न करते समय, भूलवश ` 5.96 करोड़ की सही राशि के बजाय ` 5.33 करोड़ पर कर का आरोपण किया।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों⁵⁵ में निबंधित 9,448 व्यवसायियों में से 324 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (जुलाई 2014 और जनवरी 2015 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों के मामले में करनिर्धारण प्राधिकारी ने 2010-11 की अवधि के लिए मार्च 2014 में करनिर्धारण संपन्न करते समय गलती से ` 5.96 करोड़ की सही राशि के बजाय ` 5.33 करोड़ पर कर का आरोपण किया था। करनिर्धारण प्राधिकारी को के.बि.क./झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अत्यंत सावधानी और दक्षता के साथ करनिर्धारण संपन्न करना है। उन्हें यह देखना चाहिए कि कर की गणना उनके सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार शुद्धतापूर्वक की गई है। इस प्रकार, करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गणना में गलती के परिणामस्वरूप ` 62.37 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

⁵⁵ धनबाद नगरीय, झरिया एवं सिंहभूम।

हमने मामले विभाग/सरकार को जनवरी और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.11 में बताया गया था। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और एक मामले में करनिर्धारण आदेश संशोधित किया और ₹ 3.71 लाख का अतिरिक्त माँग सृजित किया (मई 2014)। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

2.12 अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

निर्धारित प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 55.72 लाख अर्थदंड का आरोपण नहीं किया गया था।

हमने वाणिज्यकर अंचलों गोड़डा और कोडरमा में निबंधित 4,564 व्यवसायियों में से 95 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर और नवंबर 2014 के बीच) और पाया कि दो व्यवसायियों ने अवधि 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए सकल आवर्त ₹ 40 लाख से अधिक होने के बावजूद, प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

हमारी जाँच से पता चला कि क.नि.प्रा. ने मार्च 2013 और मार्च 2014 के बीच करनिर्धारण संपन्न करते समय झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 63(3) के प्रावधानों के अनुसार वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए निर्धारित सकल आवर्त ₹ 557.19 करोड़ पर अर्थदंड ₹ 55.72 लाख का आरोपण नहीं किया, जिसमें विहित है कि यदि कोई व्यवसायी जिसका सकल आवर्त किसी विशेष वर्ष में ₹ 40 लाख से अधिक है तो उसे प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है, इसमें विफल होने पर क.नि.प्रा. द्वारा निर्धारित आवर्त पर 0.1 प्रतिशत के बराबर अर्थदंड आरोपित करेगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.72 लाख अर्थदंड का आरोपण नहीं हुआ।

हमने मामले विभाग/सरकार को अप्रैल और मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सामान्य रूप से सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.13 स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) नहीं किया जाना

एक संवेदक ने एक उप-उपसंवेदक को किराया प्रभार के मद में ₹ 1.57 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन स्रोत पर कर की कटौती इस आधार पर नहीं की गई कि उप-संवेदक को उक्त अंचल से छूट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, लेकिन व्यवसायी अंचल में निबंधित नहीं था।

हमने वाणिज्यकर अंचल, चिरकुंडा में निबंधित 1,970 व्यवसायियों में से 51 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (दिसंबर 2013) और पाया कि एक संवेदक ने एक उप-संवेदक को ₹ 1.57 करोड़ किराया प्रभार का भुगतान किया लेकिन इस आधार पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई कि उप-संवेदक को इस अंचल से छूट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। आगे जाँच से पता चला कि व्यवसायी इस अंचल में निबंधित नहीं था। झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 45(1) के अंतर्गत मार्च 2006 में जारी अधिसूचना एस.ओ. 209 के प्रावधानों के अनुसार किराया मद प्रभार में भुगतान करने के उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतान करते समय चार प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती करना था। करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रमाण पत्र का अंचल के अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 लाख स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई, इसके अलावा, अधिनियम की धारा 45(5) के अंतर्गत व्यवसायी ₹ 12.58 लाख के अर्थदंड भी अदा करने के उत्तरदायी थे।

हमने मामले विभाग/सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सामान्य रूप से सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।